



उत्तरांचल शिक्षण सभा

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

सोमवार, 06 चैत्र, शक संवत्, 1928
(दिनांक : 27 मार्च, 2006)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखाए नत्थी "क")।
2. अन्य प्रश्न (देखाए नत्थी "ख" तथा "ग")।
3. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
4. डा० नारायण सिंह जन्तवाल, सदस्य, विधान सभा, "जनपद नैनीताल के भीमताल ब्लाक के ग्राम सूड़ी बेलगढ़ व चन्दा देवी में बेलगढ़ नाले से होने वाले भूमि कटाव का नियंत्रण/सुरक्षा के सम्बन्ध में" श्री गिरीश पलड़िया एवं अन्य निवासीगण, जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
5. डा० नारायण सिंह जन्तवाल, सदस्य, विधान सभा, "जनपद नैनीताल के ग्राम बोहरागांव में अत्यधिक पुरानी क्षतिग्रस्त पेयजल लाईन का पुनः निर्माण के सम्बन्ध में" श्री सुरेन्द्र सिंह बिष्ट एवं अन्य निवासीगण, जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
6. नियम 315 के खण्ड (14) व (15) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
7. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
8. उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-315 के खण्ड (23) के अन्तर्गत मा० अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखाए नत्थी-"घ")

9. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

(समय : अपराह्न 1:00 बजे)।

10. मुख्यमंत्री, वित्तीय वर्ष, 2006-2007 का आय-व्ययक प्रस्तुत करेंगे।
11. वित्तीय वर्ष 2006-2007 के एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण।
12. श्री सुबोध उनियाल द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-
"यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2006 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है"
(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिए नत्थी (ङ))

(समय : अपराह्न 5:00 बजे)।

13. वित्तीय वर्ष 2006-2007 के एक भाग के लिये लेखानुदान पर चर्चा एवं मतदान।
14. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
15. मुख्यमंत्री उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करेंगे।
16. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।
17. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2006 पारित किया जाय।
18. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय (15 मिनट)।
19. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

20. संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय (15 मिनट)।

प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

1. श्री मातबर सिंह कण्ठारी,
2. श्री प्रकाश पन्त।

“उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।”

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

21. संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971) विधेयक, 2006 पारित किया जाय।
22. नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।
23. राज्य महिला डेयरी फैडरेशन की स्थापना के सम्बन्ध में श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2006 को दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री का नियम-51 के अन्तर्गत वक्तव्य।
24. राज्य में आवास एवं विकास परिषद का गठन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० नारायण सिंह जन्तवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2006 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य।

देहरादून :

दिनांक : 27 मार्च, 2006

आज्ञा से,

(महेश चन्द्र)
सचिव।



उत्तरांचल विधान सभा

प्रथम सत्र, 2006
का प्रथम सोमवार

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

सोमवार, 06 चैत्र, शक संवत्, 1928

(दिनांक : 27 मार्च, 2006)

नत्थी “क”

अल्पसूचित प्रश्न

श्री अजय मट्ट
06-03-2006

****** क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पचन हेतु निर्धारित परीक्षा की तिथि को निरस्त कर दिया गया? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे तथा भविष्य में उक्त पद हेतु परीक्षार्थ कब तक सम्मन करा ली जायेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा

श्री हरबंस कपूर
09-03-2006

****** क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकारी एवं गैर सरकारी वाहनों के आगे या ऊपर बलियाँ लगाने के नियम क्या हैं? क्या सरकार वाहनों के ऊपर अनाधिकृत रूप से लगायी गयी अतिरिक्त लाइटों को हटाने की कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

परिवहन

नत्थी “ख”

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के
नियम 38 (2) के अन्तर्गत स्थगित

तांराकित प्रश्न

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
26-07-2005

*1. क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि उत्तरांचल में तिब्बती शरणार्थियों द्वारा फर्जी प्रमाण पत्रों के माध्यम से मूल निवास प्रमाण पत्र सहित प्रदेश सरकार में नौकरी पाने व अन्य लाभ अर्जित करने के प्रकरण प्रकाश में आये हैं? यदि हाँ, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

सामान्य प्रशासन

नत्थी “ग”

तारांकित प्रश्न

श्री प्रकाश पन्त
22-12-2005

*1. विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त

श्री मदन कौशिक
23-12-2005

*2. क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2005-2006 हेतु गन्ना मूल्य निर्धारण कर लिया है? यदि हाँ, तो उसकी नीति क्या है? यदि नहीं, तो क्यों? वर्ष 2004-2005 में किसानों का कितना बकाया चीनी मिलों पर शेष है? यदि हाँ, तो कब तक भुगतान कर दिया जायेगा?

गन्ना

श्री प्रीतम सिंह पंवार
23-12-2005

*3. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में वरुणावत भूस्खलन ट्रीटमेन्ट कार्य योजना का निर्माण किया गया है? क्या यह सत्य है कि बिना कार्य योजना निर्माण किये 30 करोड़ से अधिक व्यय किया जा चुका है? यदि हाँ, तो बिना कार्य योजना के उक्त राशि किन मदों पर व्यय की गयी है? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

आपदा प्रबन्धन

काजी निजामुद्दीन
28-12-2005

*4. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में दिनांक 28.12.05 तक कितने नलकूप कार्य नहीं कर रहे हैं और इनके कार्य न करने के क्या कारण हैं?

सिंचाई

श्री प्रेमानन्द महाजन
04-01-2006

*5. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्थाई निवास प्रमाण पत्र निर्माण प्रक्रिया के सरलीकरण का प्रावधान किया गया है? यदि हाँ, तो उत्तरांचल सृजन से पूर्व के निवासी को स्थाई निवासी की मान्यता दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

सामान्य प्रशासन

श्री विशन सिंह धुफाल
06-01-2006

*6. क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल कितनी नहरें हैं जो पूर्ण रूप से बन्द पड़ी हैं? क्या सरकार इन नहरों को पुनः चालू करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई

डा० नारायण सिंह जन्तवाल 12-01-2006	*7. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2005-06 में वार्षिक योजना की कितनी धनराशि 31 जनवरी, 2006 तक अवमुक्त की गई तथा उसके विरुद्ध कितनी धनराशि उपयोग में ली जा चुकी है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक वार्षिक योजना की धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	नियोजन
श्री हरबंस कपूर 13-01-2006	*8. क्या गन्ना मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार में कुछ निजी चीनी मिलें अपने अधिकृत गन्ना क्रय क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से भी गन्ना क्रय कर रही हैं? यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी अनाधिकृत गन्ना क्रय करने वाली मिलों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि निजी मिलों द्वारा अनाधिकृत गन्ना क्रय किये जाने से सरकारी मिलें प्रभावित हो रही हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार, सरकारी मिलों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप गन्ना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	गन्ना
श्री अजय भट्ट 13-01-2006	*9. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरकाशी जिले के वरुणावत पर्वत से भूस्खलन किस वर्ष प्रारम्भ हुआ है? इसमें क्षतिग्रस्त सम्पूर्ण सम्पत्ति (मकान, दुकान, होटलो) के एवज में इसके मालिकों को आज तक कितनी-कितनी धनराशि राहत राशि के बतौर दी गयी है? उसका पृथक-पृथक विवरण क्या है? यदि आज तक राहत राशि नहीं दी गयी है तो उसका क्या कारण है तथा कब तक सरकार सभी प्रभावितों को उनकी सम्पत्ति के नुकसान की भरपाई हेतु राहत राशि बाँट देगी?	आपदा प्रबन्धन
श्री काशी सिंह ऐरी 17-01-2006	*10. क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अविभाजित उत्तर प्रदेश में 3000 लघु जल विद्युत निगम द्वारा उत्तरांचल क्षेत्र में कुल कितनी लघु जल विद्युत परियोजनाएँ निर्मित एवं चालित की गई थी और उनमें कुल ऊर्जा उत्पादन कितना था? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उत्तरांचल बनने के बाद जल विद्युत निगम ने कितनी लघु/मध्यम जल विद्युत योजनाओं का निर्माण किया है और उनका कुल विद्युत उत्पादन कितना है?	ऊर्जा
श्री गोपाल सिंह राणा 27-01-2006	*11. उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित होने के आधार पर निरस्त	

अतारांकित प्रश्न

श्री प्रकाश पन्त 22-12-2005	1. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में धरकोट झील निर्माण हेतु आवश्यक वन भूमि सिंचाई विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी है? यदि हाँ, तो कब? क्या सरकार धरकोट झील निर्माण हेतु अपेक्षित धनराशि वित्तीय वर्ष 2005-06 में अवमुक्त करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	सिंचाई
श्री प्रकाश पन्त 22-12-2005	2. क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में कितने उद्योग रूपण इकाइयों के रूप में चिह्नित किये गये हैं? क्या सरकार इन इकाइयों के पुनर्वास हेतु कोई पैकज दिये जाने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्योग
श्री मदन कौशिक 23-12-2005 डा० नारायण सिंह जन्तवाल 28-02-2006 श्रीमती विजय बड़वाल 30-02-2006 श्री अजय भट्ट 16-03-2006	3. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में लग रहे उद्योगों में प्रदेश के युवकों को रोजगार हेतु कोई नीति बनायी गयी है? यदि हाँ, तो क्या? इस नीति के अन्तर्गत अभी तक कितने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है?	उद्योग
श्री मदन कौशिक 23-12-2005	4. क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि उत्तरांचल में बिजली दुर्घटना में होने वाली मौतों में निरन्तर वृद्धि हो रही है? यदि हाँ, तो दुर्घटना रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या नीति बनायी गयी है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन दुर्घटनाओं के कारण वर्ष 2004-2005 एवं 2005-2006 में कितना मुआवजा विद्युत विभाग को देना पड़ा?	ऊर्जा
श्री प्रीतम सिंह पंवार 24-12-2005	5. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी की भूमि का वर्ष 1964 में पैमाईश की गयी थी? यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि 40 वर्ष में या 40 वर्ष के उपरान्त भूमि पैमाईश की जानी आवश्यक है? यदि हाँ, तो टिहरी उत्तरकाशी में भूमि पैमाईश प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?	राजस्व
श्री मदन कौशिक 26-12-2005	6. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा कितने व्यक्तियों को अंगरक्षक (गनर) उपलब्ध कराये गये हैं? गनर मुहैया कराये जाने हेतु सरकार द्वारा कोई नीति बनायी गई है? यदि हाँ, तो क्या?	गृह
श्री मदन कौशिक 26-12-2005	7. दिनांक 24.03.2006 को अतारांकित 50 द्वारा उत्तरित	

- डा० नारायण सिंह जन्तवाल 26-12-2005 8. क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड धौलादेवी अन्तर्गत ग्रामसमा मलाडी के राजस्व ग्राम बडसीमा में अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है? यदि हाँ, तो उक्त ग्राम में कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
- ऊर्जा
- डा० नारायण सिंह जन्तवाल 26-12-2005 9. दिनांक 24.03.2006 को अतारांकित 51 द्वारा उत्तरित
- श्री प्रीतम सिंह पंवार 27-12-2005 10. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शहरी पुनर्वास क्षेत्र टिहरी बांध कालोनी अजबपुर कलां, देहरादून में टिहरी बांध विस्थापितों के द्वारा कालोनी में पक्की सड़क निर्माण की मांग की जा रही है? यदि हाँ, तो उक्त कालोनी की सड़कों का डामरीकरण कब तक कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
- सिंचाई
- श्री मदन कौशिक 27-12-2005 11. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थाओं में आरक्षण कोटे को पूर्ण किये जाने हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनावी गई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?
- कार्मिक
- डा० नारायण सिंह जन्तवाल 27-12-2005 12. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल के विकासखण्ड भीमताल अन्तर्गत ग्राम पंचायत अमिया के तोक अना में गोला नदी से लगातार हो रहे कटाव से ग्रामीणों के सम्मुख रोजी-रोटी व जानमाल का खतरा उत्पन्न हो गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त तोक को अन्यत्र बसाने या कोई सुरक्षात्मक कार्यवाही कर रही है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?
- सिंचाई
- श्री प्रीतम सिंह पंवार 28-12-2005 13. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड चिन्चालीसौड़ के ग्राम मरगांव (गमरी) में स्नानघाट पुर्ननिर्माण लागत 1.54 लाख का प्राक्कलन आपदा प्रबन्धन मद में जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के पत्रांक मेमो/तेरह-20 (04-05), दिनांक 29 मार्च, 2003 स्वीकृति की प्रत्याशा में लम्बित है? यदि हाँ, तो कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
- आपदा प्रबन्धन

श्री प्रीतम सिंह पंवार
28-12-2005

14. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भागीरथी नदी पर रन ऑफ रिवर विद्युत परियोजना की स्वीकृति से कुल कितने कि.मी. भागीरथी नदी सुरंग में जायेगी तथा इससे परिस्थितिकीय दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि भागीरथी नदी पर गंगोत्री से लेकर देवप्रयाग तक रन ऑफ रिवर परियोजनाओं से विस्थापन, भूगर्भीय संवेदनशीलता व पर्यावरण खतरे से बचने, संसाधनों के छिन्ने आदि पर सरकार द्वारा क्या उपाय खोजे गये हैं तथा क्या पर्यावरण प्रबन्ध योजना बनायी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा

डॉ० नारायण सिंह जन्तवाल
28-12-2005

15. क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल में बीर भट्टी के पास सितम्बर, 2005 में बलियानाले के तीव्र बहाव से तीन महिलाओं की मृत्यु हो गई थी? क्या यह सत्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मृतक परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई थी? जिसकी सूचना जिला अधिकारी, नैनीताल द्वारा मृतक परिवारों को दी गई थी? यदि हाँ, तो क्या पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

आपदा प्रबन्धन

काजी निजामुद्दीन
28-12-2005

16. क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के ब्लॉक नारसन में विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा चालीस मीटर लम्बे केबिल का प्रयोग विद्युत आपूर्ति हेतु किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या सरकार लांग केबिल के स्थान पर विद्युत खम्बे लगावायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा

श्री प्रीतम सिंह पंवार
29-12-2005

17. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में वरुणावत भूस्खलन से निकले हजारों घन मीटर मलबे को हानसू के समीप भागीरथी नदी के किनारे खाली पड़ी जमीन व बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में डाला जा रहा है? क्या यह सत्य है कि मनेरी बांध परियोजना के जोशीयाड़ा स्थित बैराज से मात्र 70 मीटर दूर डाले जा रहे मलबे को परियोजना के अभियन्ता बांध के लिये खतरा मान रहे हैं? यदि हाँ, तो मलवा डम्पिंग कार्य बन्द कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

आपदा प्रबन्धन

श्री प्रीतम सिंह पंवार
29-12-2005

18. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी के पिलंग नदी में जुलाई, 2005 के प्रथम सप्ताह में आर्यी बाढ़ से पिलंग, जौडाऊ, सिल्ला आदि गांवों के काश्तकारों की कुल कितनी कृषि भूमि बाढ़ में बह गयी है तथा सरकार द्वारा पीड़ितों को अब तक किस प्रकार की सहायता उपलब्ध करायी गयी? क्या सरकार उन काश्तकारों को भूमि उपलब्ध करायेगी जिनकी कृषि भूमि बाढ़ में बह गयी थी? यदि हाँ, तो कब और कितनी? यदि नहीं, तो क्यों?

आपदा प्रबन्धन

श्रीमती विजय बड़वाल
30-12-2005

19. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल की सिंचाई विभाग की कुल कितनी नहरों का पुर्नगठन किया जा रहा है? क्या सिंचाई विभाग के कमान्ड एरिया में लघु सिंचाई से नहरों का निर्माण किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई

श्रीमती विजय बड़वाल 30-12-2005	20. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में महिला उम्मीड़न एवं महिला अपराध को रोकने के लिये सरकार ने कोई योजना बनायी है? यदि हाँ, तो इसकी रूपरेखा क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	गृह
डा० नारायण सिंह जन्तवाल 31-12-2005	21. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नैनीताल झील के लिये राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोग कर लिया गया है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?	आवास
श्री मदन कौशिक 31-12-2005	22. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2004-2005 में राज्य में भूस्खलन एवं बाढ़ से कितने कृषकों के मकान एवं भूमि की ज़िलेवार कितनी-कितनी क्षति हुई है? क्या सभी परिवारों को राहत प्रदान कर दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?	आपदा प्रबन्धन
श्री मदन कौशिक 31-12-2005	23. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार राज्य में कुछ नयी जातियों को अनुसूचित एवं जनजाति पिछड़ी जाति में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो ये जातियाँ कौन-कौन सी हैं, एवं इसके लिये क्या नीति अपनाई गयी है?	समाज कल्याण
श्री प्रेमानन्द महाजन 31-12-2005	24. क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 60 पन्तनगर-गदरपुर विकासखण्ड क्षेत्र में सिडकुल में लग रहे उद्योगों में अब तक कितने स्थानीय बेरोज़गारों को नौकरी दी गयी? क्या सारी भर्ती जिला सेवा नियोजन कार्यालय के माध्यम से हुई है?	उद्योग
श्री प्रीतम सिंह पंवार 02-01-2006	25. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड डुण्डा के ग्राम पंचायत सुरुमोला अन्तर्गत वर्ष 1996 को भूस्खलन प्रभावित देवरियाणी गांव के विस्थापन की कार्यवाही को पूरा नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त गांव का विस्थापन यथाशीघ्र करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	आपदा प्रबन्धन
श्री प्रीतम सिंह पंवार 02-01-2006	26. क्या पशुपालन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव के अन्तर्गत धारी में पशु चिकित्सा केन्द्र को बन्द कर दिये जाने के कारण ग्रामीणों को पशु चिकित्सा हेतु लगभग 50 कि.मी. दूर नौगांव आना पड़ता है? यदि हाँ, तो क्या सरकार काश्तकारों के हित में धारी अथवा कलोगी में पुनः पशु चिकित्सा केन्द्र खोलेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	पशुपालन
श्री प्रीतम सिंह पंवार 02-01-2006	27. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत है कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव के कुपड़ा गांव अन्तर्गत जलोरी नामे तोक में भूस्खलन हो रहा है? यदि हाँ, तो क्या सरकार भूस्खलन से कृषकों की खेती को हो रही क्षति रोकने हेतु कोई उपाय करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	आपदा प्रबन्धन

श्री प्रीतम सिंह पंवार 02-01-2006 श्री पुष्पेश त्रिपाठी 28-01-2006	28. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को पदोन्नति दिए जाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है? क्या सरकार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिये जाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास
श्री प्रीतम सिंह पंवार 03-01-2006	29. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव में खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी के पद लम्बे समय से रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों पर तैनाती करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	ग्राम्य विकास
श्री प्रीतम सिंह पंवार 03-01-2006	30. क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी के ग्राम अठाली की अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्ती में लो वोल्टेज की समस्या काफी लम्बे समय से बनी हुई है? यदि हाँ, तो उक्त बस्ती की लो-वोल्टेज समस्या को कब तक दूर किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	ऊर्जा
श्री प्रीतम सिंह पंवार 03-01-2006	31. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड डुण्डा के ग्राम पंचायत सौन्द अन्तर्गत छमरोली गांव में दिनांक 22-07-2005 को बादल फटने, अतिवृष्टि व भूस्खलन के कारण ग्रामीणों की कई नाली कृषि योग्य भूमि बह गयी है? क्या यह सत्य है कि गांव के सभी मकानों के अन्दर पानी रिसाव के कारण खतरे की जद में है तथा सम्पर्क मार्ग व पुलिया ध्वस्त हो गये हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार ग्रामीणों की आर्थिक सहायता करेगी एवं सम्पर्क मार्गों व पुलिया का निर्माण करावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	आपदा प्रबन्धन
श्री प्रीतम सिंह पंवार 03-01-2006	32. क्या पशुपालन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड चिन्हालीसोड़ के श्रीकोट में पशुचिकित्साधिकारी का पद कई वर्षों से रिक्त है? यदि हाँ, तो चिकित्साधिकारी की तैनाती कब तक कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	पशुपालन
श्री प्रीतम सिंह पंवार 03-01-2006	33. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य की महिलाओं के आर्थिक/सामाजिक उन्नयन हेतु सरकार द्वारा कोई ठोस कार्य योजना बनायी गयी है? यदि हाँ, तो कार्य योजना का स्वरूप क्या है? क्या सरकार बतायेगी कि वर्तमान में इस दिशा में सरकार द्वारा कौन-कौन से कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं और कितनी महिलाओं का आर्थिक/सामाजिक उन्नयन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास

श्री विशन सिंह चुफाल
04-01-2006

34. क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में ग्राम हिप्पा सिलदो तथा ग्राम त्यूली में विद्युतीकरण किये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो क्या वर्ष 2006 में उक्त गांवों का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा

श्री प्रीतम सिंह पंवार
04-01-2006

35. क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी में वरुणाखत भूस्खलन उपचार कार्य में लगी कम्पनी द्वारा वरुणाखत शीर्ष पर नाली खोदकर पानी को तेखला व झानसू की तरफ डाईवर्ट किया गया? क्या यह सत्य है कि पानी डाईवर्ट किये जाने से तेखला व झानसू में भारी भूस्खलन हुआ, जिससे काफी क्षति हुई है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

आपदा प्रबन्धन

श्री प्रीतम सिंह पंवार
04-01-2006

36. क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव के स्थानाचट्टी, रानाचट्टी, हनुमानचट्टी, जानकीचट्टी व यमुनोत्री स्थित होटलों में स्थापित विद्युत संयोजनों का पूरे वर्ष का विद्युत प्रभार लिया जाता है? क्या सरकार शीतकाल में होटल बन्द रहने की अवधि में स्नोबान्ड के तहत केवल यात्राकाल का ही विद्युत प्रभार लेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा

श्री प्रीतम सिंह पंवार
04-01-2006

37. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव के कुपड़ा गांव अन्तर्गत जलोरी नामे तोफ में भूस्खलन हो रहा है? यदि हाँ, तो क्या सरकार भूस्खलन से कृषकों की खेती को हो रही क्षति हेतु कोई उपाय करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

आपदा प्रबन्धन

श्री प्रीतम सिंह पंवार
04-01-2006

38. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी के पिलंग गांव के ऊपर पहाड़ी पर दरारें पड़ने से गांव के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार पिलंग गांव का पुनर्वास करावेगी? यदि हाँ, तो कहां एवं कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

आपदा प्रबन्धन

श्री प्रीतम सिंह पंवार
04-01-2006

39. क्या सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के तहसील बड़कोट मुख्यालय में भट्टाखाला नाले में भूस्खलन व अतिवृष्टि के कारण कई मकानों के ढहने का खतरा उत्पन्न हो गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नाले पर मकानों की सुरक्षा के लिये बाढ़ नियन्त्रण व सुरक्षा कार्य करवायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई

श्री प्रीतम सिंह पंवार
06-01-2006

40. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी के ग्राम सौरा में 10 अगस्त, 2002 को अतिवृष्टि के कारण सौरा गांव में कई परिवारों के मकानों को खतरा पैदा हो गया था? क्या यह सत्य है कि जिला प्रशासन उत्तरकाशी द्वारा सात परिवारों को अन्यत्र पुनर्वासित किये जाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा भूवैज्ञानिकों के सर्वेक्षण करवाया गया था? क्या सरकार प्रभावित परिवारों को पुनर्वास करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

आपदा प्रबन्धन

श्री प्रीतम सिंह पंवार
06-01-2006

41. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी के सालू गांव के भूस्खलन प्रभावित परिवारों को पुनर्वास कर लिया गया है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सालू गांव के कुल कितने परिवारों का पुनर्वास किया जाना है? प्रत्येक परिवार को कितनी-कितनी धनराशि नगद अथवा भवन निर्माण सहायता के लिये दी जा रही है? प्रभावित परिवारों को कब तक और कहाँ पुनर्वास किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

आपदा प्रबन्धन

श्रीमती विजय बड़वाल
06-01-2006

42. क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय चौबटाखाल भवन विहीन है? क्या यह सत्य है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश सरकार में इसका प्राक्कलन स्वीकृत था? यदि हाँ, तो क्या भवन का निर्माण शीघ्र किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उच्च शिक्षा

श्री विशन सिंह चुफाल
06-01-2006

43. आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त

श्री विशन सिंह चुफाल
07-01-2006

44. क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद पिथौरागढ़ में नन्दीसा नहर के मेठीगाड़ के पास सुरक्षा दीवाल टूट जाने से मकानों को खतरा उत्पन्न हो गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर सुरक्षा दीवाल का निर्माण करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई

श्री विशन सिंह चुफाल
07-01-2006

45. क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम भुगरोली में वर्ष 1998-99 में विद्युत लाईन क्षतिग्रस्त हो गई थी? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्युत लाइन को ठीक करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा

श्री प्रीतम सिंह पंवार
07-01-2006

46. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के धरुणावत भूस्खलन शीर्ष पर स्थित मलबे को कार्यदायी संस्था द्वारा गिराया जा रहा है? क्या सरकार यह बतायेगी कि जमा मलबे को कार्यदायी संस्था द्वारा लोडरों के माध्यम से डम्पिंग किया जाना था? यदि हाँ, तो लोडरों के माध्यम से मलबे की डम्पिंग न कराये जाने के क्या कारण हैं? क्या सरकार अनुबन्ध के अनुसार मलबे को लोडरों के माध्यम से डम्पिंग करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

आपदा प्रबन्धन

श्री प्रीतम सिंह पंवार 09-01-2006	47. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में मनेरी भाली परियोजना द्वितीय चरण में लगभग 8 करोड़ रुपये का कार्य बिना निविदा निकाले भारत सरकार की एन.पी.सी.सी. कम्पनी से छीनकर ठेकेदारों की बनी श्रींग कम्पनी को दिये जाने के क्या कारण हैं? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	सिंचाई
श्री प्रीतम सिंह पंवार 09-01-2006	48. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में वृद्धावस्था, विधवा तथा विकलांग पेन्शन के कितने प्रार्थना पत्र आज की तिथि तक स्वीकृति की प्रत्याशा में लम्बित हैं? अवलम्बित प्रार्थना पत्र को कब तक स्वीकृत किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	समाज कल्याण
श्री प्रीतम सिंह पंवार 09-01-2006	49. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में विधवा/वृद्धावस्था तथा विकलांग पेन्शन का भुगतान बैंको द्वारा किया जा रहा है? क्या यह सत्य है कि सुदूर अंचलों में रहने वाले लाभार्थियों को पेन्शन प्राप्त करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? यदि हाँ, तो क्या सरकार वृद्ध, विधवा और विकलांग जनों की स्थिति को देखते हुए उनकी पेन्शन का भुगतान पूर्व की भांति आगामी वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल, 2006) से डाकघरों द्वारा करावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	समाज कल्याण
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 09-01-2006	50. क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के रौता गांव को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन उड़ामाड़ा, पाट्यू, चौपड़ा मोटर मार्ग की प्रगति रिपोर्ट क्या है?	ग्राम्य विकास
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 09-01-2006	51. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग के ग्राम नौसारी के अनुसूचित जाति बस्ती के लोगों के विस्थापन की कार्यवाही वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित थी? यदि हाँ, तो क्या उस पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है? क्या सभी परिवारों का विस्थापन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?	आपदा प्रबन्धन
श्रीमती आशा नौटियाल 10-01-2006	52. क्या बाल विकास एवं महिला सशक्तीकरण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जा चुके हैं तथा ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें बाकी हैं जिनमें आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना की जानी बाकी है? क्या सरकार शीघ्र छूटी हुई ग्राम पंचायतों में आंगनवाड़ी केन्द्रों को खोलने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	बाल विकास एवं महिला सशक्तीकरण

श्रीमती आशा नौटियाल 12-01-2006	53. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री को वह जानकारी है कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत विकास खण्ड अगस्त्यमुनि एवं ऊखीमठ दैवीय आपदा की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील है? क्या यह सत्य है कि जनपद में सड़क, पुल, पेयजल योजनाएँ दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त है? सरकार ने 2002 से अब तक कुल कितनी क्षतिग्रस्त योजनाओं पर दैवीय आपदा से धन खर्च किया है? क्या सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखा जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	आपदा प्रबन्धन
श्रीमती आशा नौटियाल 12-01-2006	54. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के तल्लानागपुर में पेयजल आपूर्ति हेतु कितनी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं तथा संचालित योजनाओं की क्षमता कितनी एम.एल.डी. है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्तमान में मांग कुल कितने एम.एल.डी. की है? क्या सरकार मांग के सोपक्ष आपूर्ति के संबंध में विचार कर रही है? क्या सरकार अलकनन्दा तल्लानागपुर पम्पिंग योजना निर्माण पर भी विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 12-01-2006	55. क्या सिंचाई मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 175 के उत्तर के संदर्भ में बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग के ग्राम सभा खत्याडी के पाड़ूली गांव की कृषि योग्य भूमि के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?	सिंचाई
श्री प्रकाश पन्त 12-01-2006	56. क्या मुख्यमंत्री बतायेंगे कि राज्य में स्थापित निगमों में कार्यरत कर्मचारियों तथा राज्य कर्मचारियों के वेतन संबंधी समय-समय पर जारी शासनादेशों में एकरूपता है? यदि नहीं, तो क्या सरकार सभी कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों के निराकरण हेतु योजना बनायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	वित्त
श्री विशाल सिंह चुफाल 12-01-2006	57. क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट में पावर कारपोरेशन का डिवाजन खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	ऊर्जा
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 13-01-2006	58. क्या पेयजल मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल पेयजल निगम द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियरों के कुल कितने पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापित कब निकाली गई? क्या मंत्री जी यह भी बतलाने का कष्ट करेंगे कि सभी विज्ञापित पदों के सापेक्ष नियुक्तियां प्रदान कर दी गई हैं? यदि हाँ, तो उनका जनपदवार ब्योरा क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 13-01-2006	59. क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि आश्रम पद्धति विद्यालय सैकाटे चमोली के आदेश संख्या 156/रा0आ0प0वि0/दिनांक 15 मार्च, 2004 के क्रम में पंचायत उद्योग समिति गोबर द्वारा एक लाख मूल्य के स्टील फ्रेम तख्तों की आपूर्ति की गई थी? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा पंचायत उद्योग समिति को धनराशि का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?	समाज कल्याण
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 13-01-2006	60. क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी की थाला सरियाना पेयजल लाईन क्षतिग्रस्त है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पेयजल लाईन को ठीक करने हेतु इसी वित्तीय वर्ष में धनराशि स्वीकृत करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री प्रकाश पन्त 13-01-2006	61. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य के कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति समस्त सुविधायें प्रदान की जा रही हैं? यदि हाँ, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?	वित्त
श्रीमती आशा नौटियाल 13-01-2006	62. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड आन्दोलन में गम्भीर रूप से घायल कुल कितने लोगों को चिन्हित किया गया है, चिन्हित आन्दोलनकारियों में से कितने लोगों को सरकारी सेवा में लिया गया तथा कितने शेष है? सरकार द्वारा शेष व्यक्तियों के विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या पंजी जी यह भी बतायेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के कितने आन्दोलनकारियों की मृत्यु हो चुकी है? क्या सरकार आन्दोलनकारियों के परिवारों हेतु योजना बना रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	गृह
श्री विशन सिंह चुफाल 13-01-2006	63. क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम तड़ीखेत में वर्ष 2006 में विद्युतीकरण कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	ऊर्जा
डा० नारायण सिंह जन्तवाल 16-01-2006	64. क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल के राजस्व बन्दी गृह में क्षमता से अधिक बन्दी हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार बंदियों हेतु अतिरिक्त कक्षों का निर्माण करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	राजस्व
डा० नारायण सिंह जन्तवाल 16-01-2006	65. क्या संस्कृति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नैनीताल में सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन हेतु आधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रेक्षागृह निर्माण से संबंधित कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो प्रेक्षागृह के निर्माण कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं?	संस्कृति

डा० नारायण सिंह जन्तवाल 16-01-2006	66. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल में नैनीझील पर एरियेशन एवं साइफिनिंग कार्य हेतु आमन्त्रित निविदा पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है? यदि हाँ, तो कितनी निविदायें प्राप्त हुई, निविदा के निर्णय हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गयी तथा उक्त कार्य हेतु समय सीमा क्या है?	आवास
श्री प्रकाश पन्त 16-01-2006	67. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में राज्य कर्मचारियों हेतु निर्मित आवासों का विस्तार कर 2 कमरों का आवास निर्मित किये जाने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है? यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्ष 2006-07 में कर्मचारियों के पूर्व के मकानों को उब्धीकृत करने हेतु धन स्वीकृत करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	प्रथम मंगलवार के अता० 102 में स्था०
श्री प्रकाश पन्त 16-01-2006	68. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में स्थित विभागों में क्षतार्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्ति जनपदवार सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण वरीयता के अनुसार किये जाने पर विचार किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?	कार्मिक
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 16-01-2006	69. क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट के ग्रामसभा भरई के हितमोली तोक हेतु पेयजल योजना बनाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 16-01-2006	70. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट के ग्राम भाणरवी में 6 जुलाई, 2004 को हुई भारी वर्षा से चट्टान खिसकने के कारण कितने आवासीय मकानों को क्षति पहुँची है? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु क्या कदम उठाया गया? यदि नहीं, तो क्यों?	आपदा प्रबन्धन
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 16-01-2006	71. क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी के ग्रामसभा शरणाचाई के गुगली तोक कालिका कठा नामक तोक में वर्ष में छः माह ग्रामीण परिवार निवास करते हैं? यदि हाँ, तो उक्त तोक पर पेयजल व्यवस्था हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनाई जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्रीमती विजय बड़वाल 16-01-2006	72. दिनांक 24.03.2006 को अतारांकित 62 द्वारा उत्तरित	

श्रीमती विजय बडथ्याल 17-01-2006	73. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड द्वाटीखाल में कढ़ूडबड़ा गांव व आसपास के अन्य गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कढ़ूडबड़ा पम्पिंग पेयजल योजना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो इसके लिए कोई धनराशि अवमुक्त की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्रीमती विजय बडथ्याल 17-01-2006	74. क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में सरकार उद्योग धंधे खोलने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो विधान सभा क्षेत्र चमकेश्वर में भी कोई औद्योगिक इकाई खोली जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्योग
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 17-01-2006	75. क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी के ग्रामसभा गोदिगिवाला के तोक लोहागाड में आज तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त तोक का विद्युतीकरण करवायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	ऊर्जा
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 17-01-2006	76. क्या पेयजल मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी की ग्रामसभा रीता की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना को ठीक कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री प्रकाश पन्त 17-01-2006	77. क्या मुख्यमंत्री बतायेंगे कि सरकार राज्य स्थापना आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले शिक्षकों एवं कर्मचारियों को राज्य आन्दोलनकारी घोषित करने की मांग पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक उक्त घोषणा कर ली जायेगी तथा क्या-क्या सुविधायें प्रदान की जानी प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों?	गृह
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 18-01-2006	78. क्या पशुधन मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी के ग्राम रडवा में 25 फरवरी, 2002 से 16 मई, 2002 के मध्य 58 बकरियाँ अज्ञात बीमारी से मर गई? यदि हाँ, तो बकरियों के मालिक को क्या सहायता दी गई तथा बीमारी के रोकथाम हेतु क्या उपाय किय गये? यदि नहीं, तो क्यों?	पशुपालन
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 18-01-2006	79. क्या पेयजल मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट के ग्राम सभा मोखतल्ला के तुणकोट गांव में पेयजल आपूर्ति हेतु कोई पेयजल योजना बनाई गयी है? यदि हाँ तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 18-01-2006	80. क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी की ग्रामसभा सौड़ामंगरा के राजस्व ग्राम नागघार के लिये जिलायोजना 2004-05 से एकल पेयजल योजना स्वीकृत हुई थी? यदि हाँ, तो क्या उक्त योजना पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 18-01-2006	81. क्या पेयजल मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग के ग्रामसभा मंगरोली में बेडुडाला नामक तोक से मंगरोली बगड़ तक पेयजल योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 18-01-2006	82. क्या पशुपालन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के स्थान बहेडाखाल में स्थित नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र वर्षों से मृत पड़ा हुआ है जिससे स्थानीय पशुपालकों को लाभ नहीं मिल पा रहा है? यदि हाँ, तो उक्त केन्द्र को पुर्नजीवित करने की दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा इस केन्द्र को कब तक पुर्न जीवित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	पशुपालन
डा० नारायण सिंह जन्तवाल 18-01-2006	83. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के तहसील कालाढूँगी अन्तर्गत ग्राम कालाढूँगी खाम में वर्ष 1947 के बाद के 49 भूमि कब्जेदारों की भूमि पर नजराना माफ कर मालिकाना हक प्रदान करने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक मालिकाना हक प्रदान कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	राजस्व
डा० नारायण सिंह जन्तवाल 18-01-2006	84. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत विजिटिंग फैक्ट्री कितने समय से कार्यरत है तथा इसके चयन के समय सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया अपनायी गयी थी? यदि हाँ, तो क्या सरकार इनकी सेवायें नियमित रूप से चलाने हेतु सार्थक कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	उच्च शिक्षा
श्री हरबंस कपूर 19-01-2006	85. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में लोक सेवकों तथा शासन के मध्य लम्बितवादों के निस्तारण हेतु लोक सेवा अभिकरण की स्थापना की गयी है? उक्त अभिकरण में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कितनी नियुक्तियाँ की गई है? क्या यह सत्य है उक्त अभिकरण द्वारा नियुक्तियाँ करने में समुचित प्रक्रिया नहीं अपनायी गई है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इन नियुक्तियों को निरस्त कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	न्याय
श्री प्रीतम सिंह पंवार 21-01-2006	86. क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव अन्तर्गत पौलगांव के शहीद आशाराम जगूड़ी की मूर्ति का अनावरण फरवरी, 2005 को होना था? यदि हाँ, तो मूर्ति का अनावरण किस तिथि तक करा लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	संस्कृति
श्री प्रीतम सिंह पंवार 21-01-2006	87. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में पानी के संरक्षण व उपयोग के लिये राज्य जल नीति बनाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक जल नीति बन जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	द्वितीय बुधवार के अता० 02 में स्था०

डा० नारायण सिंह जन्तवाल 21-01-2006	88. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल में स्थित भीमताल एवं भवाली की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये सरकार उक्त स्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को भी नैनीताल की भांति बी-2 श्रेणी का आवासीय भत्ता प्रदान करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	वित्त
डा० नारायण सिंह जन्तवाल 21-01-2006	89. क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल के विकासखण्ड भीमताल में स्थित आमपड़ाव-चौपड़ा में दिनांक 22-09-2004 की रात्रि में दैवीय आपदा में भारी तबाही हुई थी? यदि हाँ, तो क्या मृतकों के आश्रितों तथा अन्य प्रभावित परिवारों को अन्यत्र बसाने हेतु सरकार द्वारा भूमि आवंटित की गयी है? क्या सरकार द्वारा भविष्य में उक्त क्षेत्र की आपदा समस्या से निपटने हेतु सुरक्षात्मक प्रबन्ध कर लिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	आपदा प्रबन्धन
श्री प्रीतम सिंह पंवार 23-01-2006	90. क्या मुख्यमंत्री खनन नीति में परिवर्तन कर स्थानीय बेरोजगारों (शिक्षित प्रशिक्षितों) के माध्यम से नदी चुगान आदि में प्राथमिकता देने तथा खनन पट्टा जारी करने का अधिकार उप जिला अधिकारी को प्राधिकृत किये जाने संबंधी नीति में संशोधन किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्योग
श्री प्रीतम सिंह पंवार 23-01-2006	91. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के भेड़ पालकों से उत्थान तथा उनके द्वारा उत्पादित ऊनी सामग्री के विपणन हेतु सरकार द्वारा कोई कार्ययोजना बनायी गई है? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	पशुपालन
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 23-01-2006	92. क्या सहकारिता मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि साधन सहकारी समितियों के पर्वतीय जनपदों में तैनात कैंडर सचिवों को पंचम वेतनमान देने के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?	सहकारिता
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 23-01-2006	93. क्या बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को श्रेणी तीन व चार के अन्तर्गत नियमितीकरण करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 23-01-2006	94. क्या पेयजल मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के जौरासी पेयजल पुर्नगठन की स्वीकृति के सापेक्ष कार्य पूर्ण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 23-01-2006	95. क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट के ग्रामसभा फाली में जल संस्थान द्वारा निर्मित पेयजल योजना पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गयी है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पेयजल योजना के सुधार की स्वीकृति प्रदान करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल

श्री प्रीतम सिंह पंवार 24-01-2006	96. क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत टिहरी बांध वन जाने के कारण जनपद टिहरी गढ़वाल की भौगोलिक परिस्थितियां बदल गयी है? यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रतापनगर क्षेत्र को जिला घोषित किये जाने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	राजस्व
श्री गोपाल सिंह राणा 24-01-2006	97. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उधमसिंहनगर की तहसील खटीमा में सीलिंग भूमि कितनी है तथा उपलब्ध सीलिंग भूमि सिडकुल को हस्तान्तरित होगी? यदि नहीं, तो क्यों?	राजस्व
श्री गोपाल सिंह राणा 24-01-2006	98. क्या समाज कल्याण मंत्री भिड़ है कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय खटीमा उधमसिंहनगर का भवन अत्यन्त पुराना हो चुका है? क्या यह सत्य है कि उक्त भवन कभी भी गिर सकता है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भवन के स्थान पर नये भवन का निर्माण करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	समाज कल्याण
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 24-01-2006	99. क्या उच्च शिक्षा मंत्री विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2005 के तृतीय सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 34 के क्रम में बतावेंगे कि कुमायूँ तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान समय में और कितने संस्थानों को बी०एड० पाठ्यक्रम संचालित करने की सम्बद्धता प्रदान कर दी गई है तथा इसके क्या कारण हैं?	उच्च शिक्षा
श्री गोपाल सिंह राणा 25-01-2006	100. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उधमसिंहनगर के अन्तर्गत विकासखण्ड खटीमा के पुराने जीर्ण-क्षीर्ण हो चुके भवन के स्थान पर नये भवन निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	ग्राम्य विकास
श्री पुष्पेश त्रिपाठी 25-01-2006	101. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत मंशा देवी पेयजल योजना हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रपत्र शासन को प्राप्त हो चुके है? यदि हाँ, तो योजना की प्रगति क्या है? यदि नहीं, तो उक्त योजना को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?	पेयजल
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 17-01-2006	102. क्या सिंचाई मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में नलकूप सहायकों को नियमित नियुक्ति देने पर सरकार विचार करेगी? यदि हाँ, तो इसका स्वरूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	सिंचाई
डा० नारायण सिंह जन्तवाल 26-12-2005	103. क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि नौकुथियाताल (जनपद नैनीताल) में टैम्पलटन विद्यालय स्थापित हैं? क्या विद्यालय प्रबन्धन द्वारा स्थानीय ग्रामीणों की भूमि पर कब्जा कर उन्हें परेशान किये जाने की जानकारी प्रशासन को है? यदि हाँ, तो शासन द्वारा प्रभावित ग्रामीणों को न्याय प्रदान करने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है?	राजस्व

नत्थी “घ”

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 24 मार्च, 2006 की बैठक में दिनांक 27 मार्च, 2006 से दिनांक 03 अप्रैल, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

मार्च, 2006

27 सोमवार

- (1) वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण।
(अपराह्न 01:00 बजे)
- (2) वित्तीय वर्ष 2006-07 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण। (01:00 बजे)
- (3) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा।
- (4) वित्तीय वर्ष 2006-07 के एक भाग के लिए लेखानुदान पर चर्चा एवं मतदान। (सायं 05:00 बजे)
- (5) उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2006 का पुरःस्थापन उस पर विचार एवं पारण।

विधायी कार्य

- (1) उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)
- (2) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971) विधेयक, 2006 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

28 मंगलवार

बैठक नहीं होगी।

29 बुधवार

बैठक नहीं होगी।

30 गुरुवार

अवकाश (घेटी घन्ट)

31 शुक्रवार

बैठक नहीं होगी।

अप्रैल, 2006

01 शनिवार

बैठक नहीं होगी।

02 रविवार

अवकाश।

03 सोमवार

- (1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान।
- (2) वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक पर चर्चा।

विधायी कार्य

- (1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)
- (2) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)
- (3) राजस्व वसूली (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)



उत्तराखण्ड विधान सभा

नत्थी “ड”

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन।

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

1. श्री मातबर सिंह कण्डारी
नेता प्रतिपक्ष

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

‘किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश में लघु कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना,
2. ऊर्जा प्रदेश और पर्यटन प्रदेश का उल्लेख न किया जाना,
3. रोजगार और स्वरोजगार की कोई ठेस नीति बनाया जाना,
4. अफसरशाही पर अंकुश लगाया जाना,
5. दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, विजिटिंग प्रवक्ताओं, शिक्षा मित्र, शिक्षा बन्धु आदि का नियमितिकरण किया जाना,
6. विकल्पधारियों को उत्तर प्रदेश के लिए कार्यमुक्त करना,
7. अति दुर्गम, अति पिछड़े क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाना,
8. प्रदेश में वन एवं नजूल भूमि पर वर्षों से काबिज कृषकों की भूमि का नियमितिकरण किया जाना,
9. कृषि के उत्पादों के विपणन की व्यवस्था करना,
10. राष्ट्रीय पार्कों और पशु विहारों के निकट बसे गांवों को हक-हकूक दिलाना,
11. सूखाग्रस्त प्रदेश के किसानों को ठेस राहत दिलाने की कार्ययोजना बनाना,
12. नई तहसीलों, उप तहसीलों में स्टाफ, भवन, फर्नीचर की सुविधा दिलाना एवं उन्हें संचालित करना,
13. उत्तर प्रदेश के साथ परिसम्पत्तियों का बंटवारा करना,
14. प्रदेश के भेड़ पालकों की ऊन के विपणन की व्यवस्था करना,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

15. सभी विभागों में छोटे-छोटे टेण्डर आमंत्रित करना, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकें,
16. जिनके पास मूल निवास प्रमाण-पत्र है उन्हें स्थाई मूल निवास प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए बाध्य न करना,
17. प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल में मानक के आधार पर अध्यापकों की तैनाती करना,
18. दैवीय आपदा के बजट को समय पर सटुपयोग करना,
19. भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना,
20. विकास कार्यों की गुणवत्ता के लिए ठेस कदम उठाना,
21. रोजगार एवं स्वरोजगार योजना के लिए सरलता से ऋण दिलाना,
22. पारदर्शी एवं ठेस स्वान्तरण नीति बनाना,
23. वित्तीय अनियमितता पर रोक लगाना,
24. सरकारी भर्ती में पारदर्शिता अपनाना,
25. बी0टी0सी0 की परीक्षा तत्काल शुरू करना,
26. शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ करना,
27. शराब की दुकानों के आंचटन में पारदर्शिता लाना एवं प्रदेश से शराब माफियाओं को खदेड़ना,
28. सड़कों के घटिया डामरीकरण की जांच करना,
29. पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में जल संचय योजना पर बल देना,
30. आग एवं बाघ से जनमानस को सुरक्षा प्रदान करना,
31. मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण करना एवं कालाबाजारी को समाप्त करना,
32. रसोई गैस, धीनी, मिट्टी तेल के संकट को हल करना,
33. अन्नपूर्णा योजना, अन्नोदय, बी0पी0एल0 का खाद्यान्न वितरण समय पर सही ढंग से करना,
34. प्रदेश के 13 जनपदों को सूक्ष्मस्त घोषित करना,
35. गरीबों को कुटीर ज्योति की सुविधा प्रदान करना,
36. लघु सिंचाई द्वारा निर्मित की गयी बरसाती गूलों की जांच करना,
37. उत्तरांचल राज्य आन्दोलनकारियों के ऊपर लगे मुकदमों को वापस लेना,
38. व्यवसायिक शिक्षा, शिक्षा आचार्यों, अनुदेशक, विजिटिंग प्रवक्ताओं, शिक्षा मित्रों, शिक्षा बन्धुओं तथा पी0टी0ए0 (शिक्षकों), का नियमितिकरण करना,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

39. पैरामेडिकल फार्मैसिस्टों को नियुक्ति देना,
40. विभिन्न विभागों में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, संविदा में कार्यरत कर्मचारियों, तदर्थ एवं नियत वेतनमान कर्मचारियों का नियमितिकरण करना,
41. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं एवं विकलांगों के आरक्षित पदों को भरना,
42. टिहरी बांध विस्थापितों की समस्या का निराकरण करना,
43. पटवारी भर्ती घोटाळा, दसोगा भर्ती घोटाळा, मण्डी परिषद भर्ती, वाई ब्याय भर्ती में अनियमितताओं का श्वेत-पत्र जारी करना,
44. बेरोजगारों को रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराना,
45. अफसरशाही पर नकेल लगाना,
46. घोटाळों पर श्वेत-पत्र जारी करना,
47. गरीबी रेखा से नीचे परिवारों का बीपीओएल कार्ड बनाना,
48. भारतीय वन संरक्षण अधिनियम-1980 को लचीला बनाना,
49. प्रदेश में बन्द पड़े औद्योगिक केन्द्रों को विकसित करना,
50. आधी-अधूरी जल विद्युत परियोजनाओं एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं को प्रदेश एवं राष्ट्रीय हित में चालू करना,
51. वर्ष 1992 एवं 1999 के विनाशकारी भूकम्प से पीड़ित कृषकों को राहत बांटना,
52. मोटर मार्ग निर्माण में कृषकों की भूमि के कटाव-दबान का मुआवजा लोक निर्माण विभाग से दिलाना,
53. कृषकों को उनके अनाजों/फलों, गन्ने का उचित मूल्य दिलाना,
54. ऋषिकेश में 'एम्स' तथा श्रीनगर में मेडिकल कालेज शीघ्र खोलना,
55. पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन की प्रवृत्ति को रोकना,
56. लेस खनन नीति एवं लेस आबकारी नीति से प्रदेश का राजस्व बढ़ाना,
57. उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ के भेड़ पालकों की ऊन का उचित मूल्य दिलाना,
58. प्रदेश की चीनी मिलों को घाटे से उबारना,
59. बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिलाना,
60. दुर्गम, अति पिछड़े क्षेत्रों में अस्पताल, सड़क एवं कालेज खोलना,
61. माओवादियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना,
62. लम्बे समय से जल संस्वान में कार्यरत पीओटीओओ श्रमिकों का नियमितिकरण करना,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

63. लेखानुदान के बजाय पूर्ण बजट फरवरी/मार्च, 2006 में पेश करना तथा
64. स्वीकृत मोटर मार्गों एवं पुलों का निर्माण तत्काल करना।

2. श्री बिशन सिंह चुफ़ल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. डीडीहाट को जनपद बनाये जाने,
2. शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने,
3. जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत राजकीय कन्या इण्टर कालेज डीडीहाट तथा राजकीय कन्या इण्टर कालेज थल का भवन निर्माण किये जाने,
4. जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत बेरीनाग चौकोड़ी तथा डीडीहाट नगर में लिफ्ट पेयजल योजना का निर्माण किये जाने,
5. जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत डीडीहाट तथा बेरीनाग में मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
6. जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत काली विनायक से तडीगांव डीडीहाट से आदेचौरा तथा पमतोड़ी से भातड मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
7. जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत रेतिस नदी के मोगड़ा के पास झूला पुल तथा राम गंगा नदी रिगूनिया में झूला पुल का निर्माण किये जाने,
8. जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत थल तेजम, टिमटिया, देकुना, बांसदगड, खेत भराड़, खेतार कन्याल, मोगड़ा, बसौड़ा में तटबन्ध बनाये जाने,
9. जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत बांस बगड़ में खाद्यान्न गोदाम खोले जाने,
10. जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत डीडीहाट में पावर कारपोरेशन का कार्यालय खोले जाने,
11. जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत डीडीहाट विकास खण्ड एवं बेरीनाग विकास खण्ड में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने,
12. जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत सिराकोट, कोटगाड़ी तथा होकरा धार्मिक स्थलों का सौन्दर्यीकरण किये जाने,

क.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

13. जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत वर्ष 2005 में दैवी आपदा से नापड़ क्षेत्र में बहे पुलों का निर्माण किये जाने,
14. जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत रा030मा0 विद्यालय कोटापन्दरपाला, रा030मा0 विद्यालय मडभटीगांव रा030मा0 विद्यालय जापका थल का उच्चीकरण किये जाने तथा
15. जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालय सौगांव पूर्व माध्यमिक विद्यालय कधसाड पूर्व माध्यमिक विद्यालय धामी गांव पूर्व माध्यमिक विद्यालय चमाली का उच्चीकरण किये जाने।

3. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु संदेह है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड पोखरी में राजकीय महाविद्यालय का भवन निर्माण किये जाने,
2. जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड घाट में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करने,
3. जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड घाट में आई0टी0आई0 खोले जाने,
4. जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड पोखरी एवं घाट में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास खोले जाने,
5. जनपद चमोली में बन रही जल विद्युत परियोजनाओं में स्वावीय बेरोजगारों को प्राथमिकता देने,
6. जनपद चमोली के अन्तर्गत सिवाई झूला पुल को मोटर पुल में परिवर्तन करने,
7. जनपद चमोली के अन्तर्गत तपोवन विष्णुगढ परियोजना में अधिग्रहित भूमि के भूस्वामियों को उचित मुआवजा देने,
8. जनपद चमोली के अन्तर्गत गोपेश्वर पोखरी एवं पोखरी कनकचौरी तथा पोखरी कर्णप्रयाग मोटर मार्ग का हाटमिक्स से सुधार कार्य करने,
9. जनपद चमोली के अन्तर्गत नन्दप्रयाग वैरासकुण्ड तक मोटर मार्ग निर्माण किये जाने,
10. जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड घाट में पर्यटन आवास निर्माण किये जाने,
11. जनपद चमोली के नगनाथ मन्दिर के सौन्दर्यीकरण करने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

12. जनपद चमोली के कार्तिक स्वामी मन्दिर के पास पर्यटक आवास गृह बनाने,
13. जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड घाट में घाट उस्तौली सरपाणी मोटर मार्ग निर्माण किये जाने,
14. जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड पोखरी के दली से थालाबैण्ड, ब्राह्मणथाला, कनसारी ताली मोटर मार्ग निर्माण किये जाने,
15. जनपद चमोली के अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूल खाल (पोखरी) चमोली का उच्चीकरण किये जाने,
16. जनपद चमोली के अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूल पैदी के उच्चीकरण किये जाने,
17. जनपद चमोली के अन्तर्गत रा0उ0मा0 विद्यालय पोगव (पोखरी) चमोली का भवन निर्माण किये जाने,
18. जनपद चमोली के अन्तर्गत रा0इ0कालेज थालाबैण्ड एवं चौण्डी का भवन निर्माण किये जाने,
19. जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड पोखरी के पोगव, पैदी, स्वीठी में नये ए0एन0एम0 सेन्टर खोलने,
20. जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड पोखरी के क्वीठी गांव हेतु जलापूर्ति किये जाने,
21. जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड पोखरी के जूनियर हाईस्कूल सलना का उच्चीकरण किये जाने,
22. जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड घाट के पगना, कनौल के जूनियर हाईस्कूल के उच्चीकरण किये जाने,
23. जनपद चमोली के अन्तर्गत घाट सूतोल कनौल मोटर मार्ग को पूर्ण कराये जाने,
24. जनपद चमोली के अन्तर्गत हापला मोटर मार्ग से धोतीधार तक मोटर मार्ग निर्माण किये जाने,
25. जनपद चमोली के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग पोखरी डिवीजन की पुनः स्थापना किये जाने,
26. जनपद चमोली के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के घाट स्थित निरीक्षण भवन के पुनः निर्माण के किये जाने,
27. जनपद चमोली के अन्तर्गत नन्दप्रयाग स्थित वन विभाग के अतिथि गृह के निर्माण किये जाने,
28. जनपद चमोली के अन्तर्गत रडवा गांव (पोखरी) के गंधेरे पर झूला पुल निर्माण किये जाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

29. जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड घाट के विजार गांव को जोड़ने के लिए झूला पुल निर्माण किये जाने,
30. जनपद चमोली के अन्तर्गत सुखताल एवं झलताल को पर्यटन केन्द्र विकसित करने तथा
31. जनपद चमोली के अन्तर्गत भेड प्रजनन केन्द्र बंगाली (घाट) की बहाल स्थिति को सुधारने।

4. श्री अनिल नौटियाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश में रोजगार नीति बनाये जाने,
2. जनपद चमोली के अन्तर्गत सीमान्त विकास प्राधिकरण का कार्यालय गैरसैण में शीघ्र खोले जाने,
3. जनपद चमोली के अन्तर्गत अपर निदेशक शिक्षा का कार्यालय गैरसैण में शीघ्र स्थापित किये जाने,
4. जनपद चमोली के अन्तर्गत राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की स्थापना गैरसैण विकास खण्ड में किये जाने,
5. प्रदेश में 1999 में आये विनाशकारी भूकम्प से प्रभावित सभी श्रेणियों के प्रभावितों को शीघ्र मुआवजा का भुगतान दिये जाने,
6. जनपद चमोली के अन्तर्गत तपोवन विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना से प्रभावित कृषकों को दिहरी विस्थापितों की तरह मुआवजा दिये जाने,
7. जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैण एवं कर्णप्रयाग विकास खण्ड के अन्तर्गत स्वीकृत मोटर मार्गों पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराये जाने,
8. जनपद चमोली के अन्तर्गत जू0हा0 कुणखेत, मैसोली, आन्द्रपा, पुनगांव बिछौना विजयसैण, पिण्डवाली सुनाक-गवाड़, दुवा विद्यालयों का उच्चीकरण किये जाने,
9. जनपद चमोली के अन्तर्गत रा0उ0मा0 विद्यालय भरडीसैण, नरोड़ा कन्या विद्यालय नौटी चौसैण, बरतोली आदि विद्यालयों का उच्चीकरण किये जाने,
10. जनपद चमोली के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहाकारी संघ सिमली को पुनः चालू किये जाने तथा
11. जनपद चमोली के अन्तर्गत रोहिड़ा, सिदोली, कुनीगाड़ क्षेत्र में एलोपैथिक चिकित्सालय खोले जाने।

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

5. श्री कैलाश शर्मा

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत गोवर्धन तिवाड़ी बेस चिकित्सालय को मेडिकल कालेज बनाने,
2. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विकास खण्ड लमगड़ा में राजकीय पालीटेक्निक खोलने,
3. उत्तरांचल राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने,
4. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विकास खण्ड हवालबाग मुख्यालय में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय खोलने,
5. उत्तरांचल राज्य के पी0टी0ए0 अध्यापकों को नियुक्ति देने,
6. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत अल्मोड़ा नगर की गम्भीर पेयजल समस्या के समाधान हेतु सरयू नदी शेराघाट से पम्पिंग योजना बनाने,
7. उत्तरांचल प्रदेश में भयंकर सूखे के कारण समस्त उत्तरांचल को सूखाग्रस्त प्रदेश घोषित कर सहायता प्रदान करने,
8. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विकास खण्ड हवालबाग में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने,
9. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विकास खण्ड भैसियाखना में राजकीय महाविद्यालय खोलने,
10. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विकास खण्ड लमगड़ा के विशौद पट्टी में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने,
11. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विकास खण्ड भैसियाखना के राजकीय कन्या हाईस्कूल को इण्टर स्तर पर उच्चीकरण करने,
12. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विकास खण्ड लमगड़ा के राजकीय कन्या हाईस्कूल को इण्टर स्तर पर उच्चीकरण करने,
13. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विकास खण्ड लमगड़ा के कपिलेश्वर में पम्पिंग पेयजल योजना बनाने,
14. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विकास खण्ड हवालबाग में मिनी स्टेडियम बनाने,
15. प्रदेश में अधोषित विद्युत कटौती को दूर करने,
16. उत्तरांचल में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने,
17. उत्तरांचल के अशासकीय विद्यालयों में वर्षों से रिक्त अध्यापकों/प्रवक्ताओं के पदों को भरे जाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

18. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत पर्यटन स्थल कसारदेवी एवं जलना को विकसित करने,
19. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विकास खण्ड लमगाड़ा में घायसान धारखोला मोटर मार्ग बनाने तथा
20. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत अल्मोड़ा नगर में राजकीय इण्टर कालेज एवं राजकीय बालिका इण्टर कालेज खोलने।

6. श्री अरविन्द पाण्डे

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश के राशन कार्डों का पुनरीक्षण किये जाने,
2. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत स्कर्ट फार्म काशीपुर में तराई के किसानों व मजदूरों का पुर्नवासन किये जाने,
3. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत बाजपुर विधान सभा क्षेत्र में गांव बाजपुर के टूटे हुए मेन पुल के पुर्ननिर्माण किये जाने,
4. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत बाजपुर में पेप्सी प्लांट के पास गढ़री नदी के टूटे पुल का पुर्ननिर्माण किये जाने,
5. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत बाजपुर में बरैहनी व बेरिया दौलत तथा रैद्य हाईस्कूल को इण्टर तक उच्चीकरण किये जाने,
6. प्रदेश में प्रमुख रूप से बाजपुर में अधोषित विद्युत कटौती किये जाने,
7. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत बाजपुर में इण्टर कालेज की प्रबन्ध कार्यकारिणी का पुर्नगठन करने,
8. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत बाजपुर विधान सभा क्षेत्र में बस अड्डे का निर्माण किये जाने,
9. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत काशीपुर को नया जिला बनाये जाने,
10. जनपद उधमसिंह नगर के राय सिखों की आर्थिक स्थिति को सुधारने तथा
11. जनपद उधमसिंह नगर की बुक्सा जनजाति के कल्याण के लिए ठेस कार्यवाही किये जाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

7. श्री मालवन्द

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद उत्तरकाशी को सूखा क्षेत्र घोषित किये जाने,
2. बाढ़ से कास्त की भूमि कटव का उचित मुआवजा दिये जाने,
3. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पुरोला में सब्जी-मण्डी खोले जाने,
4. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पुरोला में कृषि विद्यालय खोले जाने,
5. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत केदार गंगा (मोरी) से लिफ्ट द्वारा गुन्दियारगांव कडियाल गांव, बसन्त नगर आदि हेतु पानी लाने,
6. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत वडियार गाह से लिफ्ट द्वारा कनाल ठकराल के समस्त गांवों की भूमि को सिंचित व नगदी फसलों से रोजगार हेतु लिफ्ट योजना बनाये जाने,
7. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत नैटवाड एवं सिदरी के छूटे विस्थापितों को विस्थापित किये जाने,
8. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत मोरी नौगांव गढोली में विश्राम भवन बनाये जाने,
9. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत केदार काण्ठा, सरताल, घागसील, देवक्यास, हरकीदून आदि पर्यटक स्थलों को उत्तरांचल के मानचित्र में दर्शाये जाने एवं सौन्दर्यकरण आदि के लिए धन स्वीकृत किये जाने,
10. प्रदेश में बस एवं छोटी गाड़ियों व पहाड़ों पर घास काटने, बकरी पुगाने, पत्ती काटने से दुर्घटना होने पर उचित मुआवजा देने,
11. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत जंगराड़ी, जखोल, फिटाडी, किरणू तालुका में ऐलोपैथिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,
12. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत मोरी नौगांव, पुरोला में कोल्ड स्टोर खोले जाने,
13. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पुरोला में रोडवेज बस अड्डा खोलने,
14. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत रवाड़ा खुनीगाड, केदार गंगा एवं राजवर डाडा-छनि में मोटर पुल बनाये जाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

8. श्री चन्द्रशेखर

15. हिमाचल पर्यटन की भान्ति लढी के मेले के अनुरूप शाकरी एवं मोरी राजमढी में पर्यटन मेले को मान्यता देने तथा
16. रोजगार हेतु सेव, आलू एवं जड़ी बूटियों से सम्बन्धित लघु उद्योग खोलने,

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश के किसानों की समस्याओं का निराकरण किये जाने,
2. बढ़ती हुई महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने,
3. आगामी वर्षा ऋतु में सम्भावित आपदाओं का निदान किये जाने तथा
4. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत घाड़ क्षेत्र के विकास हेतु योजना बनाये जाने।

9. श्रीमती विजय बड़वाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद पौड़ी गढ़वाल की हयूँवल नदी पर बांध बनाकर सिंचाई किये जाने,
2. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल, विकास खण्ड यमकेश्वर एवं विकास खण्ड दुगड़डा पर्वतीय क्षेत्र के समस्त गांवों में रेन वाटर हारवेस्टिंग योजना बनाये जाने,
3. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के स्थान देवीखेत में महाविद्यालय खोल जाने,
4. जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्राम अमोला बिचला ढांगू में स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने,
5. जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्राम खरीफ पट्टी बिचला ढांगू में झील सौन्दर्यीकरण एवं विकास किये जाने,
6. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड यमकेश्वर की विन्धवासिनी नदी का पानी विन्धवासिनी नामक स्थान पर रोककर झील का निर्माण करने,
7. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड यमकेश्वर के स्थान किमसार क्षेत्र को साहसिक पर्यटन के लिए विकसित करने,

8. जनपद पौड़ी गढ़वाल के तीर्थ स्थल लक्ष्मणझूला, स्वर्गाश्रम में स्नान घाटों का गंगा तट पर निर्माण करने,
9. जनपद पौड़ी गढ़वाल के बी नदी पर पुल बनाने,
10. जनपद पौड़ी गढ़वाल के प्रसिद्ध तीर्थस्थल नीलकंठ के लिए ग्राम तोली, भादसी, हलदोगी, पटना लक्ष्मणझूला तक बाई पास मोटर मार्ग बनाने,
11. विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के स0ए0 चिकित्सालय जसपुर भृगुखाल, लक्ष्मणझूला के उच्चीकरण किये जाने,
12. जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्वर्गाश्रम, लक्ष्मणझूला समस्त ग्राम सभा जोक को नगर पालिका बनाये जाने,
13. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड दुमईडा में बहने वाली मालन नदी के जल को रोककर स्वान चूनामहेड़ा में बांध बनाये जाने,
14. जनपद पौड़ी गढ़वाल की चैलूसैण घट्टूगाड मोटर मार्ग को हादमिक्स डामरीकरण किये जाने,
15. जनपद पौड़ी गढ़वाल के तुणखाल भुकन्डी मोटर मार्ग का विस्तार व डामरीकरण किये जाने,
16. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल एवं विकास खण्ड यमकेश्वर को पिछडा क्षेत्र घोषित किये जाने,
17. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल की दो पट्टियां और विकास खण्ड यमकेश्वर की दो पट्टियों को मिला कर जाखणीखाल को अलग विकास खण्ड बनाये जाने,
18. जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अतिरिक्त ग्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र कटघर तक मोटर मार्ग बनाये जाने,
19. विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के स्थान कंडाखनी खाल जनपद पौड़ी गढ़वाल के क0पू0मा0 जुयाल गांव का उच्चीकरण किये जाने तथा
20. जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्थान डाडामण्डी में महिला हैंडीक्राफ्ट प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने।

10. श्रीमती आशा नौटियाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद रुद्रप्रयाग विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में श्री उत्तराखण्ड विद्यापीठ राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने,

2. जनपद रुद्रप्रयाग में तल्लानागपुर में भारी पेयजल संकट के निराकरण की योजना बनाये जाने,
3. जनपद रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ से देवस्थिताल में पर्यटकों की सुविधा हेतु रज्जुमार्ग बनाये जाने,
4. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पर्यटन गांव त्रियुगीनारायण तथा नारायणकोटि का विकास तथा सौन्दर्यीकरण किये जाने,
5. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय अगस्त्यमुनि में स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान संकाय खोले जाने,
6. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल ककोडाखाल में स्व० अनुसूया प्रसाद बहुगुणा के साथ-साथ अन्य आन्दोलनकारियों का स्मृति पटल तथा सौन्दर्यीकरण किये जाने,
7. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को बी०पी०एल० कार्ड बनाये जाने,
8. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत गौरीकुण्ड से रामबाड़ा केदारनाथ तक मोटर मार्ग निर्माण किये जाने,
9. जनपद रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन मोटरमार्गों का मुआवजा वितरण किये जाने,
10. जनपद रुद्रप्रयाग में स्वान चोपता शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) का निर्माण किये जाने,
11. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत नागजगई में ऐलोपैथिक अस्पताल की स्थापना किये जाने,
12. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत राऊलैक में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने,
13. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत कन्या जूनियर हाईस्कूल गुप्तकाशी का उच्चीकरण किये जाने,
14. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत स्वान चोपता के चांदधार में खेल मैदान का निर्माण किये जाने,
15. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से घुत्तु भटवाड़ी पर्यटकों के सुविधा हेतु मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
16. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत शहीद उदय सिंह के नाम पर नगरसू डिडोली झूला पुल का निर्माण किये जाने तथा
17. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में महिला पालिटेक्निक की स्थापना किये जाने।

क.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

11. काजी निजामुद्दीन

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश में सरकारी नियुक्तियों में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के रिवत स्थानों को भरे जाने,
2. जनपद हरिद्वार और जनपद ऊधमसिंह नगर को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने,
3. राज्य के गन्ना क्षेत्र को मिल की पेरार्ई क्षमता के अनुसार पेरार्ई सत्र 2005-2006 समाप्त होने से पहले गन्ना क्षेत्र का पुनः निर्धारण किये जाने,
4. जनपद हरिद्वार में गंगा केनाल की सभी सिंचाई इकाईयों को उत्तरांचल राज्य को तुरन्त अपने नियंत्रण में लेने,
5. किसानों को सिंचाई के लिए निशुल्क बिजली देने,
6. राज्य की समस्त चीनी मिलों को इथेनील बनाने और बिजली उत्पादन की अनुमति देने,
7. राज्य के समस्त बिजली उपभोक्ताओं को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति एवं स्थिर वोल्टेज सुनिश्चित करने,
8. यूनानी चिकित्सा पद्धति चिकित्सकों को सरकारी नियुक्तियां देने,
9. वर्ग एक और वर्ग-4 की भूमि का नियमितिकरण करने,
10. स्पष्ट शीरा नीति घोषित किये जाने,
11. विद्युत छीजन को कम करने तथा
12. जिन विद्युत उपभोक्ताओं को 40 मी० से अधिक लम्बे केबल से विद्युत आपूर्ति प्राप्त होती है उन उपभोक्ताओं के केबल के स्थान पर विद्युत विभाग द्वारा खम्बे लगाये जाने।

12. श्री प्रीतम सिंह पंवार

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखण्ड किये जाने,
2. उत्तर प्रदेश राज्य के विकल्पधारी कार्मिकों को वापस भेजने,
3. उत्तराखण्ड राज्य प्राप्ति आन्दोलनकारियों को सम्मान दिए जाने,
4. उत्तराखण्ड राज्य प्राप्ति आन्दोलनकारी शहीदों के आश्रितों को रोजगार व सम्मानित करने,

5. राज्य की स्थायी राजधानी घोषित किये जाने,
6. राज्य के बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए स्पष्ट नीति बनाने,
7. राज्य के ऐसे क्षेत्र जहां पर ग्रामीणों द्वारा वन विभाग से लीज पर भूमि ली गई है लीज वन भूमि का पट्टा स्थायी किये जाने,
8. कुमाऊ इंजीनियरिंग कालेज द्वायहाट का नाम स्व० विपिन चन्द्र त्रिपाठी के नाम करने,
9. टिहरी बांध परियोजना प्रभावितों के समुचित पुनर्वास किये जाने,
10. टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित जनपद उत्तरकाशी के 16 गांवों के ग्रामीणों का पुनर्वास तथा अवेशेष भूमि, मकान गौशालाएँ, घराट, सिंचाई गूलें, हौज, छनचौक का प्रतिकर भुगतान करने,
11. विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत विकास खण्ड चिन्वालीसौड़ की पट्टी गमरी, दिचली और बिष्ट को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने,
12. बड़कोट, पुरोला मौरी विकास खण्ड (खाई घाटी) के नाम से पृथक जनपद बनाने,
13. राजकीय महाविद्यालय बड़कोट व चिन्वालीसौड़ के भवन निर्माण हेतु शीघ्र भूमि चयन करने,
14. राज्य के पर्वतीय जनपदों को पूर्ण सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने,
15. वरुणावत भूस्खलन प्रभावितों को समुचित सहायता प्रदान करने,
16. राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय बनचौरा का उच्चीकरण करने,
17. विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री अन्तर्गत मताड़ी, स्यानाचट्टी गढ़ (नौगांव) कोटधार (दशमी) टिपरी (बिष्ट) बधाणगांव, रौन्तल (गमरी) मालना और मजगांव (भण्डारखू) में राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय खोलने,
18. विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत जूनीयर हाईस्कूल स्यानाचट्टी, गढ़ ओडगांव (नौगांव) जूनीयर हाईस्कूल बधाणगांव, छेटी मणी, दिचली, कांसी, ज्येष्ठवाड़ी का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण करने,

19. विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत रा0उ0मा0वि0 कण्डारी (नौगांव), कामदा, चमियारी, घटवालधार (मालना), मंजगांव (भण्डारस्यू) का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण करने,
20. जनपद उत्तरकाशी में महिला विक्तिसालय स्थापित किये जाने,
21. विकास खण्ड नौगांव व चिन्वालीसौड़ मुख्यालयों में मिनी मण्डी स्थापित किये जाने,
22. यमुना नदी (मुलाणा) में पैदल झूला पुल का निर्माण करने,
23. विकास खण्ड नौगांव के मुलाणा व चिन्वालीसौड़ में मिनी स्टेडियम का निर्माण करने,
24. राज्य के लोगों को रसोई गैस पर विशेष सब्सिडी दिये जाने,
25. जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत कुवां-बर्नीगाड, मुलाणा, खरादी, आदि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण कार्य करवाने,
26. जनपद उत्तरकाशी के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र यमुनोत्री धाम का ट्रीटमेन्ट कार्य कराने,
27. जनपद उत्तरकाशी के बनास, खरसाली, राना, नौगांव, धरासू, नाकुरी, हर्षिल, मुखवा, धराली, कफनौल ग्योण्योटी को पर्यटन ग्राम घोषित करने,
28. यमुनोत्री विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पट्टी गमरी, बिष्ट विकास खण्ड चिन्वालीसौड़ को टिहरी बांध परियोजना प्रभावित होने के कारण विशेष आर्थिक पैकेज जनसुविधाओं के लिए दिए जाने,
29. राज्य की पौराणिक सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने,
30. गढ़वाली और कुमाऊंजी भाषा के उन्नयन/संरक्षण के लिए गढ़वाली और कुमाऊंजी भाषा संस्थान स्थापित करने,
31. प्रसिद्ध पांचवें तीर्थ सेम नागराजा (सेम मुखेम) को चार घान यात्रा पैटर्न पर विकसित किये जाने,
32. उत्तरकाशी चारुणी पंचकासी यात्रा मार्ग पर अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने,
33. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत जगड़गांव (दिवली) और धरासू वैण्ड से महरगांव चमियारी उलण होते हुए सेम नागराजा मन्दिर तक ट्रेकिंग मार्ग निर्माण करने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

46. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत बरनीगाड में विद्युत सब स्टेशन स्थापित करने,
47. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत नौगांव मुंगरा में पर्यटक यात्री आवास गृह का निर्माण करने,
48. जानकी चट्टी और गंगोत्री में बस अड्डे का निर्माण करने,
49. देहरादून-मसूरी-नैनबाग-पन्तवाडी-ऐन्डी-बनचौरा-बड़ेथी चिन्वालीसौड तक परिवहन निगम की बस सेवा संचालित करने,
50. देहरादून मसूरी-नैनबाग-नौगांव-बड़कोट-ब्रह्मखाल उत्तरकाशी तक नियमित परिवहन निगम की बस सेवा संचालित करने,
51. देहरादून-चम्बा-चिन्वालीसौड जोगथ तक परिवहन निगम की नियमित बस सेवा प्रारम्भ करने,
52. देहरादून-मसूरी, नैनबाग, नौगांव, बड़कोट, स्थानाचट्टी जानकी चट्टी तक परिवहन निगम की सेमी-डीलक्स बस सेवा संचालित करने,
53. स्थानीय उत्पाद व जड़ी बूटी उद्योग उत्तरकाशी में स्थापित करने,
54. उत्तरकाशी बस अड्डे के समीप स्थित जिला उद्योग केन्द्र के कास्तकला केन्द्र, शोरूम, कार्टिंग प्लांट अन्य भवनों के जिला पंचायत नगरपालिका परिषद को हस्तान्तरण पर शीघ्र रोक लगाने,
55. वर्षों से वन भूमि पर रोजीरोटी, औद्योगिकीकरण, कृषि, आदि के लिए ग्रामीणों द्वारा किए गये कब्जों को कश्तकारों के नाम ब्यूनतम शुल्क लेकर स्थायी पट्टे आवंटित करने,
56. विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षण प्राप्त सभी प्रशिक्षितों को शीघ्र सहायक अध्यापक पदों पर नियुक्ति दिये जाने,
57. शिक्षा आचार्यों को विद्याकेन्द्रों से अपग्रेड प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति दिए जाने,
58. विभिन्न विभागों ने समूह ग और घ के पदों पर जिलों के मूल निवासियों से भर्ती सुनिश्चित करने,
59. राज्य में युवाओं के लिए युवा नीति का निर्धारण करने,
60. महिला सशक्तीकरण हेतु महिलाओं के उत्थान के लिए व्यापक और कारगर कार्ययोजना बनाने,
61. राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को नदी घुगान व खनन के पट्टे आवंटन में शिथिलता प्रदान करने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

34. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत बजास से हरकीदून तथा हनुमानचट्टी से डोडीताल तक पर्यटक ट्रेकिंग मार्ग का निर्माण किये जाने,
35. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत राना (गीठ) घिनाड़ा, कुपड़ा, लोदरीताल, नागटिब्बा, कण्डक, जगदेई रुपनौल सौड़, डांडा, दनाऊ, नागपी खंग, नचिकेताताल, डोडीताल आदि पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण करने तथा ट्रेकिंग पहुंच मार्गों का निर्माण किये जाने,
36. दयारा बुख्याल शीतकालीन कीड़ा केन्द्र महायोजना का निर्माण करने,
37. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत रैथल-दयारा-डोडीताल ट्रेकिंग मार्ग का निर्माण करने,
38. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत चामी सिंगुणी-मोलागांव नौगांव गोडर सुत्याखोल मोटर मार्ग निर्माण करने,
39. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत वणगांव चोपड़ा कसलाना मोटर मार्ग, गमरागढ़ देवल मोल्यात से जाव्दणू मोलागांव नौगांव गोडर मोटर मार्ग, निर्माण, सारीगाड-गातू-ओडगांव-जुगडगांव मोलागांव नौगांव गोडर मार्ग निर्माण स्यालना-पटार नालूपानी मोटर मार्ग, धरासू चमियारी, गमरी उलण मोटर मार्ग निर्माण, चिन्यालीसौड़ कोटवागी मोटर मार्ग निर्माण, स्यानाचट्टी कुडार मोटर मार्ग निर्माण, स्यानाचट्टी-कुपड़ा मोटर मार्ग निर्माण किये जाने,
40. मसूरी-भवान-नगुण मोटर मार्ग के अवशेष मात्र का शीघ्र निर्माण किये जाने,
41. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत नौगांव व चिन्यालीसौड़ में बालिका हाईस्कूल खोले जाने,
42. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत डामट और नौगांव में शीतगृह स्थापित किये जाने,
43. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत जगदेई टांप, देवराणा टांप में दूरदर्शन टावर स्थापित किये जाने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने,
44. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत बनचौरा, कलोगी, जगदेई (श्रीकोट) में मोबाईल टावर स्थापित किये जाने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने,
45. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत बनचौरा में दूरभाष एक्सचेंज स्थापित किये जाने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने,

76. जनपद उत्तरकाशी में भेड़ पालकों को ऊनी वस्त्रों हेतु कार्डिंग आदि सुविधायें स्थायीतः पर दिए जाने, हर्षिल, दुण्डा, नौगांव में भेड़ प्रजनन केन्द्र सुविधायें संचालित करने,
77. राज्य के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने,
78. चिन्वालीसौड़-पीपलमण्डी व बड़कोट में सीवर लाईन का निर्माण,
79. राजकीय इंटर कालेज बनचौरा, श्रीकोट, पोखरीसौड़ (जोगधर) कोठार (जिब्या), बरनीगाड खरादी, डामटा, कोठधार (गमरी) के विद्यालय भवनों का शीघ्र निर्माण करने,
80. राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कामदा, चमियारी, रौन्तल, कफनौल, घटवालधार (मालना) जुणगा, मंजगांव, कण्डारी, विद्यालय भवनों का निर्माण करने,
81. जनपद उत्तरकाशी में सुनारगांव-अनौल, कुवां बरनीगाड, अखली (भटवाड़ी) लिफ्ट सिंचाई योजना का शीघ्र निर्माण करने,
82. पाला मनेरी और लोहारीनाग पाला जल विद्युत परियोजना में स्थानीय प्रभावित शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने,
83. बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने,
84. राज्य में बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने,
85. राज्य की सड़कों पर डेन्जर जॉन चिह्नित कर वाहन दुर्घटनाओं पर रोक लगाने हेतु कार्यवाही करने,
86. प्रसिद्ध तीर्थ धाम यमुनोत्री को वैष्णोदेवी पैरुन पर विकसित किये जाने हेतु महायोजना का निर्माण कर क्रियान्वित कराने तथा
87. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत खनाड़ी-अखली-चामकोट-दिलसौड़ मोटर मार्ग का शीघ्र निर्माण करने।

13. श्री अजय भट्ट

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु स्नेह है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. उत्तरांचल के प्रत्येक जिले के स्थानीय युवकों को रोजगार दिलाने,
2. उत्तरांचल के विजिटिंग फैक्ट्री, शिक्षक बन्धु एवं शिक्षक मित्रों को नियमित करने,

62. विजोरी तोक दिवारीखोल (चिन्वालीसौड) उत्तरकाशी में श्री राजीव गांधी नवोदय विद्यालय भवन निर्माण प्रारम्भ किये जाने,
63. यमुनोत्री विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कलोगी, स्थानावट्टी (नौगांव) ज्येष्ठ्याड़ी, पोखरीसौड (जोगवम) में पशु चिकित्सालयों की स्थापना किये जाने,
64. धरासू दिक्कौली-सर्जसाफ्ट रैन्तल मोटर मार्ग, धरासू-सुरी तराकोट मोटर मार्ग, सुत्थाखोल-नौगांव गोडर मोटर मार्ग (स्वीकृत) का शीघ्र निर्माण कराने,
65. यमुनोत्री विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों (क्षतिग्रस्त) का पुर्ननिर्माण करने,
66. विकास खण्ड भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी के ग्राम अटली मध्ये तिमली तोक में दिनांक 27-8-2005 को बादल फटने के कारण हुए भूस्खलन से हुई क्षति के कारण काश्तकारों को समुचित सहायता प्रदान करने व बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य करवाये जाने,
67. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत नाकुरी-सिंगोट फलारवा गंगाणी मोटर मार्ग का शीघ्र निर्माण कराने,
68. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत बन्दरकोट-बौन से भन्साड़ी स्थालना-खरादी (उत्तरकाशी) मोटर मार्ग की स्वीकृति प्रदान करने,
69. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत मल्ला-सौरा-बेलख-धुत्तु त्रियुगीनारायण मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने,
70. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी में एल0एल0बी0 व बी0एल0 की कक्षाएँ इसी सत्र से संचालित करने,
71. प्रत्येक जनपद में ओल्ड-एज-होम स्थापित करने,
72. विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री अन्तर्गत चिन्वालीसौड जोगव-लम्बगांव अवशेष भाग 03 कि0मी0 का शीघ्र निर्माण कराने जाने,
73. टिहरी बांध प्रभावित क्षेत्र बल्डोगी में राजकीय इण्टर कालेज व राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय का शीघ्र निर्माण करने,
74. वनाग्नि को दैवीय आपदा घोषित करने,
75. सड़क दुर्घटनाओं में घायलों व मृतकों के लिए मुआवजा व आर्थिक सहायता प्रदत्त किये जाने हेतु राज्य में एक समान नीति लागू किये जाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

3. उत्तरांचल की महिलाओं के उत्थान हेतु कोई योजना बनाने,
4. उत्तरांचल के लोक निर्माण विभाग एवं जल संस्थान के दैनिक भोगी एवं तदर्थ कर्मचारियों को नियमित किये जाने,
5. पूर्व से कार्यरत कुशल दाईयों को मानदेय दिये जाने,
6. प्राथमिक विद्यालयों में दिन के भोजन वितरण में हो रही कठिनाइयों का निराकरण किये जाने,
7. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बनाये जा रहे प्राथमिक विद्यालयों एवं जूनियर हाईस्कूलों के घटिया भवनों का पुर्ननिर्माण किये जाने,
8. राज्य के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 50-50 हैण्ड पम्प दिये जाने,
9. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विकास खण्ड ताड़ीखेत के खनिया एवं जेठ गांव की पेयजल समस्या के समाधान हेतु छोटी पम्पिंग योजना बनाये जाने,
10. अल्मोड़ा जिले में चित्तियानौला क्षेत्र की गम्भीर पेयजल समस्या का समाधान किये जाने,
11. अल्मोड़ा जिले के विकास खण्ड ताड़ीखेत में स्वीकृत रुमा-बजीना पेयजल योजना का आज तक कार्य प्रारम्भ न होने,
12. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत से चौबटिया तक रोप वे बनाये जाने,
13. अल्मोड़ा जिले के रानीखेत नगर की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए छात्राओं के लिए एक राजकीय बालिका इण्टर कालेज एवं छात्रों के लिए एक राजकीय इण्टर कालेज खोलने,
14. जनपद अल्मोड़ा के तहसील रानीखेत के अन्तर्गत रानीखेत-पन्तकोटली मोटर मार्ग के चौड़ीकरण किये जाने,
15. जनपद अल्मोड़ा के कालिका-दलमोटी सड़क पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ करने,
16. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चौबटिया (रानीखेत) स्थित उद्यान निदेशालय की रिसर्च शाखा से चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को नियम विरुद्ध जिले एवं मण्डल से बाहर किये गये स्थावान्तरण आदेश को निरस्त किये जाने,
17. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत तहसील रानीखेत के खिरखेत में 06 बिस्तारों का एक चिकित्सालय खोलने,

क.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

18. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत तहसील रानीखेत के डोल की धार में 6 बिस्तारों का एक अस्पताल खोलने,
19. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत तहसील रानीखेत के बगवान नामक स्थान में 6 बिस्तारों का एक अस्पताल खोलने,
20. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत क्षेत्र में गौ-वंश सुरक्षा हेतु एक गौशाला खोलने,
21. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत को जिला बनाने,
22. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत अशासकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों की सेवानिवृत्ति उस शासकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य के समान करने हेतु,
23. अल्मोड़ा जिले के ताड़ीखेत में उत्तरांचल परिवहन निगम के डिपो का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ किये जाने,
24. उत्तरांचल के डिग्री कालेजों में अध्यापकों की शीघ्र पूर्ति करने,
25. राज्य में राजस्व अमीनों को नियमित करने,
26. उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग में अमीनों की नियुक्ति करने,
27. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत वि०ख० ताड़ीखेत के राजस्व ग्राम पपना को पृथक ग्राम सभा के रूप में मान्यता प्रदान करने,
28. उत्तरांचल में खोली गयी नई तहसीलों एवं उप तहसीलों में एस०डी०एम०, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार समेत सभी कर्मचारियों की नियुक्ति करने,
29. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत तहसील के अन्तर्गत खैरना-ज्याड़ी सड़क स्वीकृत करने,
30. जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत तहसील के अन्तर्गत गनियाखोली-विश्वा डोबा-पाली-जखोली सड़क स्वीकृत करने।
31. अल्मोड़ा जिले में राम गंगा-चमड़खान पम्पिंग योजना का निर्माण किये जाने,
32. अल्मोड़ा जिले के तहसील रानीखेत के ग्राम खनिया की छोटी पम्पिंग पेयजल का निर्माण किये जाने,
33. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत-एरोड़ मंचौड़ा, मकणु-पीपलदाना मोटर मार्ग में शीघ्र कार्य प्रारम्भ किये जाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

34. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत द्वारसो-काकड़ी घाट, द्वारसो-शीतलाखेत, सौनी-देवलीखेत डुयोडाखाल, चौबटिया-कुनेलाखेत-बगस्य, ताड़ीखेत-पीपली मज्दूरखान, गनियाघोली-सिगोली-अम्याड़ी एवं गनियाघोली-दना-बिशालकोट सड़को के डामरीकरण किये जाने,
35. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत द्वारसो-काकड़ी घाट सड़क का कार्य प्रारम्भ कराने,
36. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत चलना-गगास स्वीकृत सड़कों का एवं दड़माड़ पुल का कार्य प्रारम्भ करने,
37. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत काकड़ी घाट-शीतलाखेत के शेष अपूर्ण भाग की स्वीकृति प्रदान किये जाने,
38. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत खिरखेत-कारचूली स्वीकृत सड़क का निर्माण प्रारम्भ करने,
39. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ज्यूड़ा-गनेल से सिलोर महादेव तक स्वीकृत सड़क का निर्माण प्रारम्भ करने,
40. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ताड़ीखेत-पीपली-मज्दूरखान स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने,
41. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत गनियाघोली-दना-बिशालकोट की स्वीकृत सड़क का कार्य प्रारम्भ करने,
42. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत डुयाडाखाल से पस्तोड़ा-बधिया-चमड़खान सड़क का कार्य प्रारम्भ किये जाने,
43. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत खैरना से ज्याड़ी-बोहरगांव पोखरी स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने,
44. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत भुजान-चापड़-बिल्लेख स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने,
45. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उप्राड़ी-शिलंगी स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने,
46. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सिरोली बैण्ड से वेड़गांव तक स्वीकृत एक किमी० सड़क का कार्य प्रारम्भ किये जाने,
47. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ताड़ीखेत-चकुलाड़ी-बैना-मटेला मनहार स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने,
48. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ताड़ीखेत-पयुली-मण्डलकोट स्वीकृत सड़को का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने,
49. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत मज्दुरखाली-दिगोटी-दुगौड़ा मोटर मार्ग की स्वीकृति दिये जाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

50. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थिति को मध्य-नजर रखते हुए जिले के मजखाली क्षेत्र में वि०सू० की स्थापना किये जाने,
51. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थिति को मध्य-नजर रखते हुए अल्मोड़ा जिले के जालली क्षेत्र को विकास खण्ड घोषित किये जाने,
52. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थिति को मध्य-नजर रखते हुए जिले के मछेड़ क्षेत्र को विकास खण्ड का दर्जा दिये जाने,
53. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों में रिक्त पड़े अध्यापकों के पदों पर शीघ्र नियुक्ति प्रदान किये जाने,
54. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सरकारी अस्पताल रानीखेत के रिक्त पड़े चिकित्सकों के पद पर शीघ्र नियुक्ति किये जाने,
55. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सरकारी अस्पताल रानीखेत को एक रैफरल हॉस्पिटल के रूप में विस्तारित किये जाने तथा
56. अल्मोड़ा जिले के विकास खण्ड ताड़ीखेत एवं विकास खण्ड द्वाराहाट में पढ़ने वाले जूनियर हाईस्कूल एवं हाईस्कूलों के उच्चीकरण किये जाने।

14. श्री प्रकाश पन्त

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में रई तथा थस्कोट झील निर्माण किये जाने,
2. जनपद पिथौरागढ़ में नैनी-सैनी हवाई पट्टी में नियमित वायु सेवा प्रारम्भ करने,
3. जनपद पिथौरागढ़ में बेस चिकित्सालय की स्थापना किये जाने,
4. जनपद पिथौरागढ़ में आंवला घाट पम्पिंग योजना का निर्माण किये जाने,
5. जनपद पिथौरागढ़ में घाट पम्पिंग योजना तथा नैनीपातल पेयजल योजना के पुर्नगठन किये जाने,

6. जनपद पिथौरागढ़ में दरकोट तथा सल्ला-चिंगरी इन्टरमीडिएट कालेज की स्थापना किये जाने,
7. जनपद पिथौरागढ़ में कुम्याचौड, खतीगांव, सिमल्कोद, मडखड़ायत, नैनी-सैनी बजेटी उपरतोला विद्यालयों को हाईस्कूल स्तर की मान्यता दिये जाने,
8. जनपद पिथौरागढ़ में जमराडी, चमाली, उपरतोला, सौनगांव में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने,
9. जनपद पिथौरागढ़ स्थित मोस्टमानू, चन्डिका मन्दिर, बलकेदार, शिवालय मरसोली, कासनी, मड स्थित प्रमुख पर्यटक स्थलों का विकास किये जाने,
10. जनपद पिथौरागढ़ में साहसिक पर्यटन तथा जल क्रीडा की सम्भावनाओं को देखते हुये स्थल चयन करने,
11. जनपद पिथौरागढ़ में नगरपालिका क्षेत्र अन्तर्गत समस्त मोटर मार्गों को हाटमिक्स द्वारा निर्मित करने,
12. जनपद पिथौरागढ़ में सैनी-कनारी-पार्से, दिन्तोली-दियूडी, चन्डाक-धारी-डूंगरा, सुकोली-चमाली मोटर मार्गों का निर्माण करने,
13. जनपद पिथौरागढ़ में जाख-नेलडुंगरी मोटर मार्ग का झामरीकरण किये जाने,
14. जनपद पिथौरागढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने,
15. जनपद पिथौरागढ़ में इन्जीनियरिंग कालेज खोले जाने,
16. जनपद पिथौरागढ़ में मैनेजमेन्ट संस्थान खोले जाने,
17. जनपद पिथौरागढ़ में खेल विद्यालय की स्थापना,
18. जनपद पिथौरागढ़ में विद्युत शवदाह गृह की स्थापना,
19. राज्य के बेरोजगारों हेतु प्रभावी नीति बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करने,
20. राज्य के समस्त पंजीकृत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने तथा
21. राज्य के सरकारी कार्यालयों में की जा रही चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां रोजगार कार्यालय में पंजीकृत युवकों की वरीयता कम से किये जाने के सम्बन्ध में।

15. श्री गोविन्द लाल शाह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

1. जनपद चमोली के अन्तर्गत सम्पूर्ण पिण्डर विधान सभा क्षेत्र को यातायात सुविधा दिये जाने,
2. जनपद चमोली के सुदूरवर्ती विद्यालयों को उच्चकृत कर भवन सुविधा उपलब्ध किये जाने तथा
3. जनपद चमोली के सुदूरवर्ती ग्रामों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध किये जाने।

16. श्री पुष्पेश त्रिपाठी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य का नाम पौराणिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर उत्तराखण्ड किये जाने,
2. उत्तराखण्ड राज्य की राजधानी अविलम्ब गैरसैण बनाये जाने,
3. उत्तराखण्ड राज्य प्राप्ति आन्दोलनकारियों/शहीदों को सम्मान दिये जाने,
4. राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को 2000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिये जाने,
5. प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों को परिवहन शुल्क माफ किये जाने,
6. राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपकेन्द्र खोले जाने वाले मानकों में कमी किये जाने,
7. सर्वशिक्षा कार्यक्रम को अध्यापकों से हटाकर शिक्षित बेरोजगारों से कराये जाने,
8. प्रा० विद्यालयों में पंद्रह बच्चों पर एक शिक्षक किये जाने,
9. तराई की कृषि योग्य भूमि पर उद्योगों की स्थापना के बजाय कृषि एवं किसानों को बढ़ावा दिये जाने,
10. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विकास खण्ड चौखुटिया को कृषि अथवा हार्टिकल्चर मिशन में घयनित किये जाने,
11. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत पिण्डर नदी को टनल बनाकर कोसी, गंगा एवं रामगंगा में लाकर पेयजल की समस्या का हल किये जाने,
12. उत्तराखण्ड के भूमिहीनों का चयन कर कम से कम परिवार के एक सदस्य को स्थायी रोजगार/नौकरी दिये जाने,

13. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जालली ब्लाक की स्थापना संहित प्रदेश में नये ब्लाकों की स्थापना किये जाने,
14. महिला मंगल दलों को ग्राम पंचायतों की तरह वित्तीय अधिकार देकर महिलाओं की भूमिका को राज्य के विकास में सुदृढ़ किये जाने,
15. लघु एवं कुटीर उद्योगों का जाल बिछकर गांव-गांव में महिलाओं को रोजगार दिये जाने,
16. प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में चीड़ के कारण बढ़ रही सूखे की स्थिति से निपटने हेतु बांज, उत्तीस, बुरांश चौड़ी पत्ती वाले पौधों को लगाये जाने,
17. राज्य की प्रत्येक तहसील से राजधानी हेतु एक हाईटेक बस चलाये जाने,
18. राज्य के जिला पंचायत सदस्यों क्षेत्र पंचायत सदस्यों, ग्राम प्रधानों को मानदेय दिये जाने,
19. जिला पंचायत अध्यक्षों एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के चुनाव सीधे जनता द्वारा कराये जाने,
20. राज्य में फिल्म उद्योगों को बढ़ावा दिये जाने,
21. प्रदेश में शराब के स्थान पर फूट बियर उद्योग खोले जाने,
22. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत दुनागिरी, मंशादेवी, पाण्डवखोली, भटकोट, विमानेश्वर महादेव अग्नेरी मन्दिर को पर्यटन स्थल के रूप में चयनित कर विकास हेतु राज्य योजना में सम्मिलित किये जाने,
23. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रा0क0इ0 कालेज द्वाराहाट, रा0इ0 कालेज धामदेवल, रा0इ0 कालेज बग्वालीपोखर, रा0इ0 कालेज जौरासी का भवन निर्माण किये जाने,
24. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत कुमाऊं इंजिनियरिंग कालेज द्वाराहाट एवं पण्डुआखाल सिमलखेत में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने,
25. राज्य में लोक संस्कृति को बढ़ावा दिये जाने हेतु युवक मंगल दलों को ग्राम सभा स्तर पर प्रशिक्षण देकर जागरूकता लाये जाने,
26. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत द्वाराहाट एवं चौखुटिया के बीच में परिवहन निगम का कार्यालय खोले जाने,
27. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चिपको आन्दोलन की प्रमुख स्थली चांचरीधार को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने,

28. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत पाली पछाऊ नाम से जिला बनाये जाने,
29. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चौखुटिया में कृषि विज्ञान केन्द्र, पालिटेक्निक एवं आईटीआई खोले जाने,
30. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत कुमायू इंजीनियरिंग कालेज में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी एवं नियत वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितकरण किये जाने,
31. स्वास्थ्य मोबाइल टीम सेवा योजना द्वाराहाट एवं चौखुटिया सहित सभी पर्वतीय विकास खण्डों में चलाये जाने,
32. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत पितौला, बिन्ता एवं चौखुटिया विकास खण्ड के ग्राम पंचायत भगोती में स्टेट बैंक अथवा ग्रामीण बैंक की शाखा खोले जाने,
33. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय चौखुटिया का भवन बनाये जाने,
34. राजकीय महाविद्यालय द्वाराहाट में वाणिज्य एवं बायोटेक्नोलॉजी विषय खोले जाने,
35. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बादल फटने के बाद आपदाग्रस्त तड़ागताल क्षेत्र को संरक्षित एवं उपचार किये जाने,
36. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत कुकुसीना-पैली मोटर मार्ग स्वीकृत किये जाने तथा चन्धरिया-दूगाधारा-सीरा-कनोली चौखुटिया मोटर मार्ग स्वीकृत किये जाने,
37. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत अग्नेयकर ग्राम बमोला, नाइ, धरगांव, नाथल, आगर नटगुल्ली, पान, मैराइ, अखेती में बारातघर, कीड़ा मैदान एवं महिलाओं को रोजगार दिये जाने,
38. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत गोदी तड़ागताल, गोदीखीड़ा का डामरीकरण किये जाने,
39. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत स्पेशल कम्पोजेन्ट के तहत बिन्ता मटेला सुरना, कफड़ा छबीसा, चन्धरिया बयेला मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
40. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत दुनागिरी में एस0ए0डी0 स्थापित किये जाने,
41. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रा0इ0 कालेज दुनागिरी में विज्ञान विषय खोले जाने,
42. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सिमलगांव, बदुलिया में आयुर्वेदिक भवन निर्माण किये जाने,

43. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत धुधालिया मनराल (चौखुटिया) ऐलोपैथिक डिस्पेन्सरी खोले जाने,
44. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वाराहाट एवं चौखुटिया को उच्चीकृत एवं ई0एन0टी0 यूनिट की स्थापना किये जाने,
45. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विमान्डेश्वर महादेव (द्वाराहाट) में पर्यटन विभाग द्वारा झील बनाये जाने,
46. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विमान्डेश्वर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किये जाने,
47. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत खीरोधारी, झूलाहाट, टोदरा ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना स्वीकृत किये जाने,
48. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत गंगास नदी पर जल संवर्धन हेतु छोटे-छोटे डैम एवं वृक्षारोपण किये जाने,
49. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रा0 महाविद्यालय चौखुटिया में स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारम्भ किये जाने,
50. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रा0क0 हाईस्कूल उभ्याड़ी एवं बग्यालीपोखर का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण किये जाने,
51. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रामपुर चौखुटिया में रा0क0इण्टरमिडिएट कालेज खोले जाने,
52. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रामपुर चमणिया (चौखुटिया में) एस0ए0डी0 की स्थापना किये जाने,
53. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत कुमाऊ इंजिनियरिंग कालेज द्वाराहाट को राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान का दर्जा दिये जाने,
54. राजकीय पालीटेक्निकों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को योग्यता के अनुरूप समायोजित किये जाने,
55. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत भिक्वासैत्र विधान सभा क्षेत्र की नैयना पम्पिंग योजना से सिलंग, मासों, घुघुनी, खनारी, सनणें, धमेड़ा ग्रामों हेतु अलग पेयजल उपलब्ध करवाने,
56. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत द्वाराहाट चौखुटिया सहित प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 100-100 हैडपम्प लगाये जाने,
57. राज्य की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए भी इनसे उच्चाधिकारी की भांति पद रिक्त होने पर पदोन्नति की समय सीमा निर्धारण किये जाने तथा
58. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत गोदी खीड़ा, कफड़ा, छबीसा, कफड़ा बड़ेत द्वाराहाट भगतोला मोटर मार्गों में जमीन का मुआवजा ग्रामवासियों को दिये जाने।

17. श्री हरबंस कपूर

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश में सूखे की स्थिति को देखते हुए सम्पूर्ण राज्य को सुखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने,
2. प्रदेश में चौबीस घण्टे निर्बाध विद्युत आपूर्ति किये जाने,
3. प्रदेश में बी०टी०सी० की निर्धारित प्रवेश परीक्षा 25-2-06 को अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र प्राप्त न होने के कारण स्थगित किये जाने के प्रकरण से सम्बन्धित दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्डित किये जाने, प्रवेश परीक्षा की आगामी तिथि तुरन्त घोषित किये जाने एवं पूर्व निर्धारित अभ्यर्थियों के नुकसान की प्रतिपूर्ति किये जाने,
4. प्रदेश में स्थित 30प्र० आवास विकास की रिक्त भूमि अधिग्रहण किये जाने तथा रिक्त भूमि पर विभिन्न श्रेणियों के आवास निर्मित किये जाने,
5. देहरादून के मार्गों के चौड़ीकरण हेतु काटे गए वृक्षों के स्थान पर नए पौधे लगाए जाने,
6. प्रदेश में आकामक हादसों के कहर ढाने वाले क्षेत्रों में नागरिकों को आवश्यक सुरक्षा तथा नागरिकों के जानमाल की क्षति प्रतिपूर्ति किये जाने,
7. प्रदेश में स्थिति औद्योगिक क्षेत्रों में यातायात की सुविधा उपलब्ध किये जाने हेतु सड़कों का निर्माण किये जाने तथा मार्गों के दोनों ओर पथ प्रकाश व्यवस्था किये जाने,
8. प्रदेश में मुख्य मार्गों पर चलने वाले ट्राली ट्रैक्टरों की ट्रालियों, बैलगाड़ियों तथा अन्य वाहनों के पीछे उपयुक्त रत को चमकने वाले संकेतात्मक चिन्हों को लगाने,
9. प्रदेश के पड़ोसी देश नेपाल में बढ़ती हुई माओवादी गतिविधियों को देखते हुए प्रदेश में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने,
10. प्रदेश की सेवाओं में रिक्त अनु० जाति, जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों पर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिये जाने,
11. राज्य की अस्थायी राजधानी देहरादून में उत्तरांचल की संस्कृति के संवर्द्धन, लोकगीत एवं लोक कला के उत्थान हेतु हरिद्वार बाईपास रोड पर रिस्पना के किनारे पूर्व में चिन्हित स्थान पर शिलान्यास किये गये स्थान पर बहुउद्देशीय प्रेक्षागृह का शीघ्र निर्माण किये जाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

12. राज्य की अस्थायी राजधानी देहरादून में खेलकूद को प्रोत्साहन देने हेतु अन्तराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेलकूद स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
13. देहरादून विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चुक्सु मौहल्ला, लूबिया मौहल्ला, हकीकत राय नगर, डाडीपुर, खुडबुड़ा मौहल्ला एवं लौहारवाला, किशन नगर, सजांची बाग, दीपलोक कालोनी, सैयद मौहल्ला, मित्रलोक कालोनी, शान्ति विहार, गोविन्दगढ़, आदि क्षेत्रों से बहने वाले गन्दे नाले की तुरन्त सफाई कराये जाने, नियमित सफाई की व्यवस्था किये जाने, नालों के सीवर को सीवर की मुख्य लाइनों से जोड़े जाने तथा नालों के जीर्णोद्धार एवं रखरखाव की विस्तृत योजना बनाये जाने,
14. प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने की विस्तृत रोजगार योजना बनाये जाने तथा
15. प्रदेश में सरकारी एवं गैर सरकारी वाहनों पर अधिकृत रूप से लगाये जाने वाले हैड लाइट के अतिरिक्त अनाधिकृत रूप से लगाये जाने वाले रंग बिरंगी हैड लाइट को हटायें जाने तथा दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने।

18. श्री नारायण पाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

‘किन्तु स्पष्ट है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. बंगाली विस्थापितों को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने,
2. थारु जनजाति, बंगाली समाज, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यकों का समुचित विकास किये जाने,
3. सितारगंज को परगना बनाने एवं डिग्री कालेज का निर्माण किये जाने,
4. जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज ब्लाक के अन्तर्गत वर्ग एक अ एवं वर्ग चार की जमीन का नियमितिकरण करने तथा डाम के किनारे बसे लोगों को पट्टे की जमीन आवंटन किये जाने,
5. जनपद ऊधमसिंह नगर के ब्लाक सितारगंज के अन्तर्गत नानकमत्ता को धार्मिक/पर्यटन केन्द्र हेतु आर्थिक पैकेज दिए जाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

6. जनपद ऊधमसिंह नगर के ब्लाक सितारगंज के अन्तर्गत बाढ़ की रोकथाम किये जाने,
7. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत सितारगंज औद्योगिक जोन में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार सुनिश्चित किये जाने,
8. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत सहकारी चीनी मिल सितारगंज को घाटे से उबारने तथा
9. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत सम्पूर्णनन्द शिविर कारागार सितारगंज को आधुनिक बनाने।

19. श्री प्रेमानन्द महाजन

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. उत्तरांचल में रहने वाले बंगलाभाषी उपजातियों शुद्र, पौण्ड्रा मांडी जाति के लोगों को अनु जाति की मान्यता दिये जाने,
2. स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रक्रिया का सरलीकरण किये जाने,
3. प्रदेश में पूर्व में निर्मित मार्गों की मरम्मत हेतु विशेष धन आवंटन किये जाने,
4. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत गदरपुर विधान सभा क्षेत्र में कन्या हाईस्कूल के उद्घाटन किये जाने तथा
5. प्रदेश में सिडकुल द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने।

20. डा० नासयण सिंह जन्तवाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य की स्थाई राजधानी बनाये जाने,
2. उत्तर प्रदेश के विकल्पकारी कर्मचारियों की पूर्ण वापसी करने,
3. उत्तराखण्ड के राज्य आन्दोलनकारियों को रोजगार व अन्य सुविधा देने,
4. सम्यक रोजगार नीति बनाकर 5 वर्ष के अन्दर बेरोजगारी दूर करने,
5. केन्द्रीय करों से राज्य को विशेष अनुदान दिलाये जाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

6. राजकीय हाईस्कूल नौकुचिया, दोगड़ा, जनपद नैनीताल को इण्टर स्तर पर उच्चीकरण करने,
7. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रा0इ0का0 ज्योलीकोट के पुराने भवनों का पुर्ननिर्माण कराये जाने,
8. मेडिकल कालेज हल्द्वानी (नैनीताल) में उत्तराखण्ड के विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क में छूट दिये जाने,
9. जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट इन्जीनियरिंग कालेज का नाम स्व0 विपिन त्रिपाठी के नाम रखे जाने,
10. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के नैनीताल नगर के आन्दोलनकारी जिन्हें फतेपुर व मिर्जापुर जेलों में रखा गया को सेवायोजित किये जाने,
11. जनपद नैनीताल के भवाली में रोडवेज वर्कशॉप को दूसरे स्थान में स्थानान्तरित करने,
12. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार जो वी0पी0एल0 कार्ड से वंचित हैं उनके वी0पी0एल0 कार्ड बनाये जाने,
13. भारतीय वन संरक्षण अधिनियम, 1980 को लचीला बनाये जाने,
14. प्रदेश में नजूल भूमि व वन भूमि जो वर्षों से कृषकों के कब्जे काशत है उसका नियमितिकरण किये जाने,
15. जमीन-बल्दियाखान जीप मार्ग जो कि कास्तकारों के लिए उपयोगी है को बनाये जाने,
16. माध्यमिक स्तर के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में विज्ञान की प्रयोगशाला में प्रयोग सम्बन्धी सामग्री उपलब्ध कराये जाने,
17. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड भीमताल में कृषि क्षेत्र भुजियाघाट व रुना मोरा में सिंचाई नहरों को पक्का कराये जाने,
18. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत ज्योलीकोट में आई0टी0आई0 खोले जाने,
19. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत सिडकुल के अन्तर्गत ज्योलीकोट नैनीताल में उद्योग लगाये जाने,
20. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड ओखलढूंगा में व्यवसायिक बैंक की शाखा खोले जाने,
21. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रौसिल-भक्त्याजला में गौला नदी से कटाव वाली भूमि व कास्तकारों के मकानों की सुरक्षा किये जाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

22. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत सड़ियाताल-ज्योलीकोट गांव में हो रहे भू कटाव से सुरक्षा किये जाने,
23. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत ग्राम मनोरा से नैनीताल पैदल मार्ग पर कटाव वाले क्षेत्रों की सुरक्षा किये जाने,
24. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत भवाली-फर्सोली पैदल मार्ग को पक्का किये जाने,
25. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत ज्योम्पूड़ा-खुर्पाताल में नाले से हो रहे भू कटाव को रोके जाने,
26. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत ग्राम सभा सूर्या गांव से सांतताल मोटर रोड निर्माण कराने,
27. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत मंगोली गहलना जीप रोड निर्माण करायें जाने,
28. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत गेटियाताल का सौन्दर्यीकरण करायें जाने,
29. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत पाईन्स-गेटिया सिंचाई योजना को आरम्भ करायें जाने,
30. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत ज्योलीकोट बुकिंग कार्यालय जो कि परिवहन निगम के अन्तर्गत है की मरम्मत कर यात्रियों के विश्राम के लिए खोले जाने,
31. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत अरुखान-बेलुवाखान में ट्रैक्टर मार्ग का निर्माण करायें जाने,
32. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत फुनिया खान-चोपड़ा में बन्द पड़ी पेयजल पम्पिंग योजना को पुनः आरम्भ करायें जाने,
33. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत गोयली-ढाकाखेत के लिए बलियानाले में पुल निर्माण करायें जाने,
34. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत पटुवाडागर-बसगांव-रोपड़ा कच्चे वन मार्ग को पक्का करायें जाने,
35. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड भीमताल के देवीधूरा में काश्तकारों की सुविधा हेतु पुलिया निर्माण करायें जाने,
36. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत नगर पंचायत क्षेत्र कालाढूंगी में भूमि कटाव रोके जाने,
37. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत पर्यटन की दृष्टि से बुड़भुमिया मन्दिर का सौन्दर्यीकरण एवं पेयजल उपलब्ध करायें जाने,
38. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत काश्तकारों की सुविधा हेतु ज्योलीकोट व उसके आस-पास मिनी मण्डी स्थापित करने,

क.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

39. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत बेलुवाखान वर्षाती नाले से ग्राम वासियों की जानमाल की सुरक्षा हेतु नियंत्रण कार्य कराये जाने,
40. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रानीबाग स्थित प्रसिद्ध चित्रशिला घाट एवं तीर्थ स्थल का विकास करने,
41. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत ज्योलीकोट में उप तहसील खुलवाये जाने,
42. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रा0इ0का0 ज्योलीकोट से नलैना मोटर मार्ग को पक्का कराने,
43. उत्तरांचल राज्य के वित्त विहीन मान्यता प्राप्त इण्टर कालेजों व हाईस्कूलों में निशुल्क पुस्तकों व कम्प्यूटरों का वितरण करने,
44. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत जमरानी बांध का निर्माण कराये जाने,
45. नैनीताल नगर की सुरक्षा हेतु बनाये गये नालों (ड्रेनेज) की लगातार सफाई करवाने,
46. राज्य में आवास एवं विकास परिषद का गठन किये जाने,
47. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत बजौनिया हल्दू-कोटाबाग में बैंक शाखा खोले जाने,
48. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड भीमताल में सौलिया-बेलुवाखान में आंगनवाडी स्कूल खोले जाने,
49. सरकारी सेवाओं में आरक्षित श्रेणियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया आरम्भ किये जाने,
50. उत्तरांचल पेयजल निगम के कर्मचारियों की मूलभूत समस्याओं के निराकरण करने,
51. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड भीमताल न्याय पंचायत ओखलदुंगा के गांवों को बडौनिया या हरीशताल जल स्रोत से पेयजल उपलब्ध कराये जाने,
52. चीनी उद्योग में कार्यरत गन्ना समिति कर्मचारियों सीजनल एवं स्थायी मिल कर्मचारियों की भांति मिल बन्द होने के पश्चात् आधा वेतन दिये जाने,
53. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत ग्राम पुराना आलूखेत-जेठिया में प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा कार्य करवाये जाने,
54. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कालादूंगी में आई0टी0आई0 इसी सत्र से आरम्भ करने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

55. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कालाढूंगी में एन0टी0पी0सी0 के सहयोग से बनने वाले पालिटेक्निक को इसी सत्र से आरम्भ किये जाने,
56. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कालाढूंगी तहसील भवन शीघ्र बनाने एवं तहसील के सभी कार्य आरम्भ किये जाने,
57. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कालाढूंगी में मिनी स्टेडियम बनाये जाने,
58. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कालाढूंगी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण किये जाने,
59. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कालाढूंगी में उप मण्डी स्थापित किये जाने,
60. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कालाढूंगी खान में सन् 1947 से पूर्व से निवास कर रहे 175 भूमि कब्जेदारों को स्वामित्व अधिकार से सम्बन्धित प्रमाण पत्र जारी किये जाने,
61. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कालाढूंगी-नैनीताल सड़क का शीघ्र सुधार किये जाने,
62. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कालाढूंगी क्षेत्र को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किये जाने,
63. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत भीमताल में आई0टी0आई0 स्थापित किये जाने,
64. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत भवाली-भीमताल में कार्यरत राज्य कर्मचारियों को बी-2 आवासीय भत्ता दिये जाने,
65. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत नैनीताल, भवाली, भीमताल बाई पास को शीघ्र बनाये जाने,
66. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत आदर्श विद्यालय भीमताल में शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने,
67. प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत पी0टी0ए0 शिक्षकों को नियमित किये जाने,
68. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत सी0आर0एस0टी0 इण्टर कालेज नैनीताल के जीर्ण क्षीर्ण भवन का पुनः निर्माण किये जाने,
69. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत गोविन्द बल्लभ पन्ना चिकित्सालय का पुनर्निर्माण एवं सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक नियुक्त किये जाने,
70. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत भवाली-नैनीताल में उप मण्डी स्थापित किये जाने,

क.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

71. नैनीताल शहर को बलियानाले से निरंतर बढ़ते खतरे की सुरक्षा किये जाने,
72. प्रदेश की सबसे पुरानी नगरपालिका परिषद नैनीताल को विशेष वित्तीय अनुदान दिये जाने,
73. प्रदेश में पुस्तकालय अधिनियम व्यावहारिक रूप से लागू करने,
74. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विजिलैन्स कार्यालय नैनीताल में ही बनाये रखने,
75. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत जी०वी० पन्त इण्टर कालेज में भवाली में जीव विज्ञान की अतिरिक्त मान्यता दिलाये जाने,
76. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत सूर्यागांव-भीमताल पेयजल पम्पिंग योजना बनाये जाने,
77. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत ल्वैशाल (भीमताल) पेयजल योजना बनाये जाने,
78. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत आम पड़ाव चोपड़ा में दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों, मृतकों के आश्रितों को अन्यत्र बसाये जाने,
79. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पसौली सिमलखेत एवं दानीजाला हेतु गौला नदी में झूला पुल बनाये जाने,
80. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत भीमताल में मिनी स्टेडियम बनाये जाने,
81. नैनीताल शहर के "शेर का डाडा" के लिए सुरक्षा के उपाय किये जाने,
82. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत भीमताल में लोक निर्माण विभाग का निरीक्षण भवन बनाये जाने,
83. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत चकलुवा-कोटबाग में चिकित्सालय भवन में विद्युतीकरण कराये जाने,
84. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत हनुमानगढ़ी मन्दिर के सौन्दर्यीकरण व सुदृढीकरण किये जाने,
85. नैनीताल नगर में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित प्रेक्षागृह (आडिटेरियम) बनाये जाने,
86. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत थापला-जमालगांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये जाने,

क.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

87. जनपद नैनीताल के अन्तर्गत ज्योलीकोट ग्राम समूह में पेयजल योजनाओं के सुधारीकरण एवं विस्तार कराये जाने,
88. प्रदेश में बड़ी ग्राम सभाओं का विभाजन कर आकार छेद किये जाने,
89. प्रदेश में मोटर मार्गों के निर्माण में कृषकों की भूमि के कटान-दवान का मुआवजा लोक निर्माण से दिलाये जाने,
90. प्रदेश में स्वरोजगार के लिए ऋण आदि में सरलता लाये जाने तथा
91. प्रदेश में जन संचय योजनाओं को बढ़ावा देना।

21. श्री हरिदास

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश की सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरे जाने,
2. दलितों को संविदा के आधार पर भरे जा रहे पदों में नियुक्तियों में आरक्षण दिया जाने,
3. अफसरशाही पर अंकुश लगाने,
4. अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बजट को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने,
5. प्रदेश के छोटे किसानों के पट्टे को नियमित करने,
6. जनपद हरिद्वार एवं जनपद ऊधमसिंह नगर को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने,
7. प्रदेश के भेड़ पालकों की ऊन को बेचने की व्यवस्था करने,
8. नवयुवक बेरोजगारों को रोजगार दिलाने,
9. बेरोजगारों को स्वरोजगार योजना के लिए सरलता से ऋण उपलब्ध कराये जाने,
10. उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यो हेतु छोटे-छोटे टैण्डर आमंत्रित करने,
11. स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरलीकरण किये जाने,
12. राज्य की सरकारी सेवा में भर्तियों में पारदर्शिता लाये जाने,
13. राज्य के शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती को शीघ्र कराये जाने,
14. स्थानांतरण नीति में पारदर्शिता हेतु छेस नीति बनाये जाने,

15. दैवीय आपदा के बजट को समय से सदुपयोग किये जाने,
16. शराब की दुकानों में पारदर्शिता लाने एवं प्रदेश से शराब माफियों को बाहर करने,
17. भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने,
18. कुटीर ज्योति योजना के तहत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सुविधा प्रदान किये जाने,
19. महंगाई को नियंत्रण में लाने,
20. प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का उत्पीड़न रोके जाने हेतु वेस कानून बनाये जाने,
21. प्रदेश में एस0सी0एस0टी0 एवं पिछड़ी जाति की विधवा महिलाओं को पेंशन दिये जाने,
22. प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के वी0पी0एल0 कार्ड बनाये जाने,
23. प्रदेश के कृषकों को उनके अनाज, फलों, गन्ना आदि फसलों के उचित दाम दिये जाने,
24. प्रदेश के दूध व्यवसायी किसानों को दुध का उचित दाम दिये जाने,
25. प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने,
26. अपराधों में कमी लाये जाने,
27. प्रत्येक जिले में जनता की समस्याओं को सुनने के लिए अलग से एक अधिकारी पुलिस विभाग में और जिला प्रशासन में नियुक्त किये जाने,
28. प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों पर आरक्षण दिये जाने,
29. उत्तरांचल राज्य में राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की नियुक्तियों में आरक्षण दिये जाने तथा खाद्यान्न अन्त्योदय योजना का लाभार्थ सस्ता मल्ला बिकताओं को दिये जाने।

22. श्री काशी सिंह ऐरी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु स्पष्ट है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य की राजधानी चन्द्रनगर गैरसैण बनाये जाने,
2. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों/शहीदों को सम्मान दिये जाने,
3. राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को मासिक भत्ते की व्यवस्था किये जाने,

4. राज्य के बेरोजगार अभ्यर्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए परिवहन शुल्क माफ किये जाने,
5. राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपकेन्द्र खोले जाने के मानकों को शिथिल किये जाने,
6. उत्तराखण्ड के भूमिहीनों का चयन कर कम से कम परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिये जाने,
7. राजस्व विभाग के अमीनों को नियमित किये जाने,
8. राज्य के प्रत्येक तहसील से राजधानी तक हाईवेक बस चलाये जाने,
9. राज्य में लोक संस्कृति को बढ़ावा दिये जाने हेतु युवक मंगल दलों को ग्राम सभा स्तर पर प्रशिक्षण देकर जागरूकता लाये जाने,
10. राज्य में जिला पंचायत अध्यक्षों एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के चुनाव सीधे जनता द्वारा कराये जाने,
11. राज्य के प्रत्येक विधान सभा के लिए 100-100 हैडपम्प स्वीकृत किये जाने,
12. जनपद पिथौरागढ़ मगीआगर से नगरखान मोटर मार्ग के निर्माण कार्य शीघ्र किये जाने,
13. विधान सभा क्षेत्र अल्मोड़ा में अलई-बमनतीलाडी-खासतीलाडी मोटर मार्ग की स्वीकृति शीघ्र किये जाने,
14. विकास खण्ड धौलादेवी अन्तर्गत ग्राम सभा गिरचौला नामक स्थान पर कीड़ा स्थल की स्थापना किये जाने,
15. राज्य का नाम उत्तराखण्ड किये जाने,
16. बढ़ती महंगाई पर कारगर अंकुश लगाये जाने,
17. दलित वर्गों के उत्थान हेतु विशेष योजना बनाये जाने,
18. कुटीर ज्योति योजना के तहत विद्युत उपभोक्ताओं के बकाया बिलों को माफ किये जाने,
19. राज्य गठन के पूर्व गरीबों को मकान हेतु दिये गये ऋण की लम्बे समय बाद वसूली बन्द किये जाने,
20. राज्य में विशेषतया पर्वतीय क्षेत्र में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना किये जाने,
21. सीमान्त विकास प्राधिकरण को प्रभावशाली बनाते हुए सीमान्त जिलों के विकास को सुनिश्चित किये जाने,
22. पर्वतीय क्षेत्र में मोटर मार्गों के निर्माण में आ रही कठिनाईयों को दूर करने हेतु कोई सरलीकरण स्कीम राज्य स्तर पर लागू किये जाने तथा
23. विभिन्न विभागों में दैनिक एवं कार्य प्रभारित रूप में कार्यरत सभी कर्मियों को नियमित किये जाने।

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

23. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद देहरादून के अन्तर्गत डोईवाला स्थित राजकीय महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय बनाये जाने,
2. जनपद देहरादून के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय डोईवाला में विद्युत कनेक्शन दिये जाने,
3. जनपद देहरादून के अन्तर्गत कृष्ण विहार व गढ़वाल कालोनी के मध्य नेहरूग्राम में पुल निर्माण किये जाने,
4. जनपद देहरादून के अन्तर्गत गूलरघाटी से नकरौंदा में सोंग नदी के किनारे पर्यटन स्थल विकसित किये जाने,
5. जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून में वार्ड-13 अजबपुर में गोरखपुर स्थित तालाब को विकसित किये जाने,
6. जनपद देहरादून अन्तर्गत में अपर राजीवनगर देहरादून में कालोनी के ऊपर से जा रही विद्युत लाईन हटायें जाने,
7. प्रदेश में सरकारी सस्ते गल्ले की राशन व तेल उपभोक्ताओं को सुनिश्चित किये जाने,
8. जनपद देहरादून के अन्तर्गत केदारपुरम, एम0डी0डी0ए0 कालोनी देहरादून में पेयजल की आपूर्ति किये जाने,
9. प्रदेश में सूखे के कारण किसानों से वसूली बन्द किये जाने,
10. प्रदेश के गन्ना किसानों को सस्ते गल्ले की दर के हिसाब से चीनी उपलब्ध कराये जाने,
11. सम्पूर्ण उत्तरांचल को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने,
12. जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून शहर में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन विधान सभा से दून विश्वविद्यालय मार्ग के गोरखपुर मोड़ को चौड़ा करने,
13. जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून में रिस्पना नदी पर पुल के चौड़ीकरण से प्रभावित दुकानदारों के विस्थापन किये जाने,
14. उत्तरांचल में 24 घण्टे बिजली उपलब्ध कराये जाने,
15. राजधानी के दून अस्पताल देहरादून को राज्य मेडिकल कालेज में उच्चीकरण किये जाने,
16. जनपद देहरादून के अन्तर्गत डोईवाला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एम्बुलेंस दिये जाने,
17. जनपद देहरादून के अन्तर्गत सुसवा नदी को प्रदूषण मुक्त किये जाने तथा
18. जनपद देहरादून के अन्तर्गत नेहरू कालोनी, देहरादून में प्रत्येक चौराहे पर यातायात पुलिस की व्यवस्था किये जाने।